

बिना या प्रतिबंध के साथ खुल गया है तो पोर्ट कारबार से संबद्ध न होनेवाले व्यक्तियों की घुसपैठ के अंतर्गत न आएगा ।

112. **अवांछित :-** यदि कोई व्यक्ति, परमिट होने पर भी, बोर्ड के परिसरों में या बोर्ड द्वारा समय समय पर बिना या प्रतिबंध के जनसाधारण के लिए खोले गए परिसरों के भागों में ठीक तरह न होने या अवांछित व्यक्ति होने पर लटाने या उसका परमिट की जब्ती का भागी होगा । कोई व्यक्ति जो पुलीस द्वारा लूटेरा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्मगलर के रूप में या जो फैलनेवालों रोग से ग्रस्त है जिसके संपर्क से दूसरों को भी रोग का प्रसार होने की संभावना है या नुसाफिरों को तंग करने या दुख देनेवालों को उक्त परिसरों से बिना कारण बताए बहिष्कार किए जाएं ।

113. **जहाजी अधिकारियों तथा कर्मियों तथा यात्रियों का गमन :-** बिर्लिंगडन आईलन्ड बाफों तथा या प्रणालुलम चैनल में तेल टैक्स बर्थ जेफ़ी में बोर्ड परिसरों में से पोर्ट जलयानों के अधिकारियों, कर्मियों या यात्रियों का पार करना घुसपैठ के अंतर्गत नहीं आएगा ।

114. **यात्रियों से मिलनेवाले आगन्तुकों का प्रवेशन:-** जहाजों पर चढ़ने तथा जहाजों से उत्तरनेवाले यात्रियों से मिलना चालनेवाले आगन्तुकों को परिसरों के द्वार पर जारी किए परमिटों के सतरे बोर्ड के परिसरों में प्रवेश किए जाने जा सकते हैं तथा ऐसी परमिटों का धारण करनेवाले व्यक्ति घुसपैठियों के अंतर्गत नहीं आते । परन्तु ऐसी परमिट होने से सीमाशुल्क बारियर तक जाने का हक होता है ।

115. **सचूत की जिम्मेदारी :-** संबंधित व्यक्तियों पर सचूत की जिम्मेदारी रहेगी कि बोर्ड के परिसरों में उनका कारबार बिधिपूर्वक है ।

116. **पोर्ट परिसरों में मोटर गाड़ियाँ :-** यातायात को ध्यान में रखते हुए पोर्ट परिसरों में मोटर गाड़ियों को सावधानी से चलाना होगा तथा निम्न अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा :

(i) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार होनेवाले ऐसी मोटर गाड़ियाँ ।

(ii) ऐसी मोटर गाड़ियाँ बिना ध्यान दिए नहीं लौटा जाना है ।

(iii) ऐसी मोटर गाड़ियाँ पोर्ट के मान्य सड़कों से साधारणतया गुज़र जाएँगी ; सेकिन पोर्ट ट्रस्ट या पुलीस अधिकारों द्वारा नियंत्रण के शर्त पर उताराव व चढ़ाव के प्रयोजनार्थ के पर वहन शेहरों में तथा खुले भंडारण स्थलों में उनके लिए परमिट दी जाएँ ।

(iv) (क) माल का वहन करनेवाली मोटर गाड़ियाँ बोर्ड के परिसरों में प्रवेश करते या छोड़ते समय पोर्ट ट्रस्ट या सीमाशुल्क अधिकारियों या द्वार पर कार्यरत पुलीस से जाने की अनुमति मिलने तक बार्फ द्वारों पर खड़ी रहेगी तथा उसका चालक तथा उस गाड़ी में होनेवाली भाल का जांच करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए पूछने पर प्रस्तुत करेगा ।

(ख) व्यक्तियों तथा उनके निजी सामान (यदि कोई हो) की सवारी गाड़ियाँ बार्फ पर बोर्ड के परिसरों में

प्रयोग करते या छोड़ते समय पोर्ट द्रस्ट या सीमाशुल्क अधिकारियों या द्वार पर कार्यरत पुलीस से जाने की अनुमति मिलने तक द्वार पर छढ़ी होंगी ।

(v) यातायात प्रबन्धक की राय में माल के चढ़ाव व उत्तराव के लिए अपेक्षित समय से ज्यादा बोर्ड के परिसरों में कोई गाड़ी को नहीं खड़ी होनी चाहिए । बेकार घूमना तथा भाड़ा के लिए चलाना निषिद्ध है ।

(vi) यातायात प्रबन्धक से विशेष परमिट लिए बिना कोई गाड़ी अपना टैक पेट्रोल से या अन्य इंधन से बोर्ड के परिसरों के अन्तर्गत बार्फ़ों पर नहीं भग्ना है ।

117. पोर्ट में फोटो छाँचने के लिए अनुमति :- अद्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना पूर्णामति लिए पोर्ट का या उसका किसी भाग का फोटो नहीं छाँचना है । बशर्ते कि जब ऐसी अनुमति मंजूर की जाती है तो निर्देशानुसार फोटो लिए जाएंगे तथा उसमें विहित शर्तों के अनुसार लिया जाना चाहिए ।

118. कार्य घंटे :- (1) जहाजी माल के उत्तराव व चढ़ाव के प्रयोजनार्थी तथा अन्य कार्य जैसे आयात का प्रेषण तथा निर्यात माल की प्राप्ति के लिए कार्य घंटे समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित प्रकार होंगे ।

(2) विलिंगडन आईलन्ड बार्फ़ों तथा एण्टाकुलम चैनल में तेल टैकर बर्थ जोड़ी के कार्य घंटे फिलहाल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तथा शाम को 1 बजे से 5 बजे तक (बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित लुट्रियों तथा रविवारों को छोड़कर) होंगे ।

119. यात्री व अवकाश काम :- (क) मालिक, मास्टर या एजन्ट एवं आयातदाताएं, निर्यातदाताएं या उनकी प्रतिनिधियाँ जो रात्रि समय या रविवारों या बोर्ड के अवकाश दिनों पर काम करना चाहते हैं ऐसे काम के लिए सीमा शुल्क समानता से आवश्यक अनुमति पहले ही लेना होगा ।

(ख) बर्थ के बगलों में कार्यरत जलयानों के लिए दिन के समय, रात्रि, रविवारों या अवकाश के दिनों के विश्राम घंटों के दौरान काम करने विषय पर नियमानुसार यहले नी यातायात प्रबन्धक को आवेदन करना चाहिए ताकि उचित रूप से चत कार्यसंचालन के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें । दिन के विश्राम घंटों, रात्रि या रविवारों तथा बोर्ड द्वारा विहित अवकाश के दिनों पर काम के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित अवकाश के दिनों पर काम के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा विहित अतिरिक्त दरों का भुगतान करना होगा ।

टिप्पणी :- (i) यातायात प्रबन्धक अपने विवेचन के प्रयोग में जलयानों के मास्टर, मालिक या एजन्टों को कार्यदिवसों पर रात्रि के समय या रविवारों या लुट्रियों पर काम करने, यदि पोर्ट में जलयानों के घुमाव के हितों में ऐसा करना उसकी राय में आवश्यक है तो, निर्देश कर सकता है ।

(ii) उक्त प्रयोजनों के लिए कार्य घंटे फिलहाल निम्न प्रकार के होंगे - सभी दिवसों पर रात्रि कार्य- अपराह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 5 बजे ।

रविवारों एवं विहित लुट्रियों पर दिवस कार्य - पूर्वाह्न 8 बजे से दुपहर 12 बजे तथा अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 5 बजे ।

(ग) 'कार्य घंटों' के अलावा बाकी समय में निर्यात जहाजीमाल स्वीकृत न किया जाएगा या आयात

जहाजीमाल विलिंगडन आईलन्ड वार्फ़ों से प्रेषण नहीं किया जाएगा तर्ही तो विहित फार्म में पहले ही आवेदन करना होगा तथा विषय पर नियमों के अनुसार समयोपरि शुल्क का भुगतान करना होगा ।

120. प्रभारों को बापस करना :- (क) महा पतन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत लगाया किसी टोल, बकाया, किराया, दर या प्रभार की बापसी के बारे में दावे ऐसे टोल, बकाया, किराया, दर या प्रभार की तारीख से या उसके लिए उधार किया गया तारीख से छः महीनों के अंतर्गत लिखित पूर्वक देना होगा । दावा सभी समर्थक प्रयोगों के साथ प्रलेखन के साथ होना चाहिए । समर्थक प्रलेखों के अभाव में दावा बोर्ड द्वारा नामंजूर की जाएगी, बशर्ते कि यदि बोर्ड इस पर संतुष्ट है कि ऐसे प्रलेखों को प्रस्तुत करने में पार्टी उचित कारणवश असमर्थ है बोर्ड अपने विवेचानुसार ऐसे प्रलेखों को प्रस्तुत करने में उचित समय, जो ऐसे समझें, मंजूर किया जा सके ।

(ख) एक रूपये से कम राशि की बापसी के लिए दावे, चाहे पृथक रूप से करें या अन्य दावों के साथ करें पर, किसी परिस्थितियों में ध्यान नहीं दिया जाएगा फरन्तु बोर्ड कर्मचारी के कारण हुई त्रुटी से उत्पन्न दावे पर ध्यान दिया जाएगा ।

121. सीमाशुल्क परीक्षा आदि के प्रयोजनार्थ पार्सरों के खोलने (तथा मरम्मत) के लिए विलिंगडन आईलन्ड वार्फ आदि बोर्ड परिसरों में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत मरम्मतबालों को आने देना :- (i) सीमाशुल्क परीक्षा या फोटोपास के अनुसार अन्य प्रयोजनों के लिए विलिंगडन आईलन्ड वार्फों में बोर्ड के परिसरों में पार्सरों को खोलने (तथा मरम्मत करने) मरम्मत करनेवालों के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों को यातायात प्रबन्धक के सिफारिश पर सुरक्षा अधिकारी फोटोपास जारी कर सकता है तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को नहीं लगाना चाहिए या किसी न किसी बहाने ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी बद्दल के साथर्नों या अन्य उपकरणों का बहन करने नहीं देना चाहिए ।

(ii) पूरा नाम, पता, उप्र तथा पहचान चिह्नों के साथ अपने अपने नियोक्ताओं द्वारा आवेदन यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत करने पर यातायात प्रबन्धक अपने सिफारिश के साथ ऐसे आवेदनों को, जो उसकी राय में उचित अहो, सुरक्षा अधिकारी के पास अग्रेषित करेगा । तब सुरक्षा अधिकारी प्रति वर्ष या उसके अंशकाल के लिए दस रूपये प्रति फोटोपास लाईसेंस शुल्क की अदायगी पर फोटोपास के साथ प्राधिकृत मरम्मत करनेवालों का प्रबन्ध करेगा । एक पंचांग वर्ष के लिए फोटोपास भान्य होगा । फोटोपास के नवीकरण के लिए आवेदन मान्यता अवधि की समाप्ति तारीख से कम से कम सात दिनों के पहले यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत करना होगा । यातायात प्रबन्धक की सिफारिश पर सुरक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष प्रति फोटोपास पाँच रूपये के लाईसेंस नवीकरण शुल्क की अदायगी पर फोटोपास की मान्यता अवधि बढ़ाने का प्रबन्ध करेगा ।

(iii) मरम्मत करनेवाले न होनेवाले पार्टीयों के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध होने के लिए यातायात प्रबन्धक द्वारा अन्य व्यक्ति भी लोक मरम्मत करनेवालों के रूप में (बाणिज्य मंडल की सिफारिश पर) काम करने प्राधिकृत किए जा सकते हैं । ऐसे व्यक्ति अपने आवेदन उक्त प्रकार अपने अपने बाणिज्य मंडल द्वारा प्रस्तुत करना है तथा उक्त प्रकार मूल्य चुकाने पर फोटोपास जारे किए जाएंगे ।

(iv) वार्फ परिसरों में मरम्मत करने के कार्य पर होते समय वार्फ अधिकारी या सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पूछने पर हमेशा मरम्मत करनेवाले फोटोपासों को दिखाने में तैयार होना है ।

(v) शेड अप्रैसर या सीमा शुल्क विभाग के परीक्षक के प्राधिकार के लिना द्रानसिट शेड या अन्य वार्फ परिसरों में किसी पैकेज को नहीं खोलना चाहिए ।

(vi) फोटोपास स्थान परिवर्तन करने योग्य नहीं है ।

(vii) स्टीमर एजन्ट, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता तथा निकासी एजन्ट द्वारा नियुक्त मरम्मत करनेवालों के संदर्भ में वे, बाणिज्य मंडल के सिफारिशों पर प्राधिकृत मरम्मत करनेवालों के संदर्भ में वे मरम्मत करनेवालों के सदाचार के लिए उत्तरदायी हैं ।

(viii) फोटोपास के खो जाने पर तुरंत अपने नियोक्ता या वाणिज्य मंडल द्वारा यातायात प्रबन्धक को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। यातायात प्रबन्धक अपने आप मामले की परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाने के बाद दूसरी फोटोपास जारी करने के संबंध में अपना सिफारिश सुरक्षा अधिकारी को करेगा जो जारी किया प्रत्येक दूसरी फोटोपास के लिए 200/- रूपये बसूल करने पर जारी करने का प्रबन्ध करेगा।

(ix) मरम्मत करनेवालों का वार्क परिसरों में प्रवेश विषय पर नियमों के अनुसार होगा तथा मरम्मत करनेवाला फोटोपास का धारण करने भाव में वार्क परिसरों आदि में प्रवेश करने का हक न होगा।

(x) कोई कारण बिना बताए मरम्मत करनेवालों के रूप में काम करने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया प्राधिकरण वापस लेने या आवेदन का स्वीकार या अस्वीकार करने का हक बोर्ड के पास आरक्षित है। इस विषय पर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

122. केरीबालों को लाईसेंस जारी करना :- विनियम 110 में हवाला दिए बोर्ड परिसरों के अन्तर्गत या पोर्ट परिसरों के किसी भाव में, जो समय समय बोर्ड द्वारा जन साधारण के लिए प्रतिबंध के साथ या बिना प्रतिबंध खुले जाते हैं या अध्यक्ष या इस अवसर इसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा लाईसेंस के बिना कोई व्यक्ति भाल नहीं बेचता है। इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष या अन्य प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदित व्यक्तियों को लाईसेंस जारी करें (समय समय पर विहित शर्तों के अनुसार)। ऐसे लाईसेंस हर वर्ष नवीकरण किए जा सकते हैं, बशर्ते कि विनियम 110 में बताए परिसरों में या किसी जलयान के बोर्ड पर भाल बेचने ऐसे व्यक्ति पहले सीमाशुल्क समाहर्ता से विहित अनुमोदन पहले प्राप्त करना है। परन्तु ऐसे लाईसेंस का धारण करना किसी जलयान के मास्टर, मालिक या एजेंट की अनुमति के बिना जलयान के बोर्ड पर बदलने का हक प्रदान नहीं करता।

123. ट्रकों व हाथगाड़ियों को हटाना :- माल से भेरे ट्रकों व हाथगाड़ियों को, जो वार्क परिसरों से तुरंत नहीं बाहर ले गई है, माल के मालिकों के खर्च तथा जोखिम पर यातायात प्रबन्धक द्वारा हटायी जाएगी तथा व्यापारियों व अन्यों से संबंधित ट्रकों व हाथगाड़ियों को जो वार्क, जेड्रियों या के में पड़ी हुई है; हटायी जाएगी तथा ऐसी गाड़ियों को हटाने व संरक्षण में रखने का प्रभार व्यापारियों तथा अन्यों से यातायात प्रबन्धक द्वारा बसूल किए जाएंगे।

124. बोर्ड की किसी संपत्ति का नष्ट करना या नाश करना :- कोई व्यक्ति जो किसी मूरिंग, रस्सी, जंजीर, लाईफबोर्ड, लाईफलाईन या प्राण रक्षण उपकरणों या बोर्ड के किसी बोर्ड रस्सी या केबिल का या किसी संपत्ति का काटना, रूप बदलना या क्षति पहुँचाने से दंड के अलावा नुकसान, मरम्मत तथा बसूली के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

125. रुकावट अधिकारी :- बोर्ड के कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाने में विघ्न करना, रुकावट डालना, जाधा डालना, विरोध करना, आक्रमण करना, सताना नहीं चाहिए या प्रयत्न नहीं करना चाहिए या उसके विधि आदेशों का तिरस्कार करना या गाली देना दूसरों को ऐसे करने में नहीं उक्साना चाहिए।

126. पोर्ट निकासी का विषय :- (क) पोर्ट छोड़ना चाहनेवाला वर जलयान के मास्टर, मालिक या एजेंट काफी समय पहले उप संरक्षक को आवेदन करना चाहिए तथा उसपर उप संरक्षक ऐसी जलयान को पोर्ट निकासी मंजूर

करेगा बशर्ते कि जलयान द्वारा बोर्ड को देय प्रभारों के भुगतान न करने से या कोई अन्य कारणबश पोर्ट में जलयान को रोक रखना आवश्यक होने पर बोर्ड को बकाया प्रभार चुकाने तक या जिन कारणों के लिए जलयान रोका गया है, उप संरक्षक की संतुष्टि के अनुसार ठीक हो जाने तक निकासी प्रमाण पत्र जारी करने में तिरस्कार करें। तथा यदि निकासी पहले ही जारी की गई है तो, उप संरक्षक उक्त संदर्भ में उसी का रद्द कर सकता है तथा आवेदक को सुचित कर सकता है कि बोर्ड को देय प्रभारों का भुगतान करने या जिन कारणबश जलयान रोक रखा गया है उप संरक्षक की संतुष्टि के अनुसार ठीक होने के बाद नया निकासी प्रमाण पत्र मिलने तक जलयान को पोर्ट न छोड़ने देगा।

(ख) उप संरक्षक द्वारा विधिवत् जारी किया निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक सीमाशुल्क विभाग पोर्ट निकासी मंजूर नहीं करेगा।

127. क्वे आदि पर अस्थायी आहाता का निर्माण हो जाएँ:- (1) पोर्ट के अंदर कोई बार्फ, पायर, क्वे या उत्तराव स्थान जहाँ समुद्र द्वारा यात्री या फौज या घोड़ों या अन्य जानवर चढ़ते या उतरते हैं, यात्रियों, फौज या घोड़ों या अन्य जानवरों के उत्तराव व चढ़ाव के लिए उपयोगित जगह के निकट आने में सोगों का निरोध करने के प्रयोजनार्थ आहाता का निर्माण किया जाएँ।

(2) बोर्ड निर्देशों के अनुसार यातायात प्रबन्धक ऐसे आहारों पर सूक्ष्मा चिपकाएगा जो अस्थायी हो या स्थायी हो तथा जलयात्री या फौज या घोड़ों व अन्य जानवरों के उत्तराव व चढ़ाव के समय आहारों अंदर बोर्ड के अधिकारियों या लाईसेंस प्राप्त कूलियों या कर्मचारियों को या यात्री, फौज या उनके नौकरों या घोड़ों व अन्य जानवरों के उत्तराव व चढ़ाव में रत व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक संदर्भ में या स्थायी रूप से निषिद्ध किए जाएँ।

128. धूप्रपान करना :- निषिद्ध जगहों को छोड़कर बाकि स्थलों में धूप्रपान करना तथा पोर्ट के अन्तर्गत किसी शेड, गोदाम, पायर या क्वे में दिया जलाना या आग लगाना सख्ती से निषिद्ध है तथा किसी जलयान के परिसरों में या किसी पायर, क्वे या बोर्ड पर दिया का प्रदर्शन करना या जबलनशील कस्तुओं, दियासलाई को जलाना या धूप्रपान करना निषिद्ध है।

129. बोर्ड जलयानों पर आग की उपयोगिता :- मुख्य यंत्रों के लिए डॉकी यंत्र, भाप विंचों तथा जलयान बोयलरों के लिए बोर्ड जलयानों पर कोल, चार्कोल या कोक का इस्तेमाल किए जाएँ।

बहनीय भट्टियों के लिए कार्यघरों में मान आग के लिए मंजूरी दी जाती है तथा उन्हें ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहिए। जबलनशील माल तथा विस्फोटों का बहन करनेवाले किसी ज्वोट, बार्ज या देशी यान पर आग लगाना पूर्णतया निषिद्ध है।

130. बोर्ड जलयानों पर दीपों का इस्तेमाल :- पोर्ट में बोर्ड जलयानों पर उपयोगित सभी दिया चाहे तेल लेख्य को या सोमतात्री ग्लोबरों में या सुरक्षित लाजाटेनों में रखना होगा। जलयानों के यंत्रों व बोयलरों में गात नंगा दियों का इस्तेमाल

किया जाएं जो उससे संबद्ध कर्तव्यों या मरम्मत तथा निरीक्षण के अन्तर्गत रहे जाएं ।

131. जलयानों के बोर्ड पर आग व दिया का प्रभार :- जलयान के बोर्ड पर कोई आग या दिया का विशेष देखभाल करने में कम से कम एक व्यक्ति होना है तथा पोर्ट के जलयानों, संपत्ति, माल का ज्वलन होने या सुरक्षा को छतरे में डालने की रीति में असाधारणी, लापरवाही से किसी आग या दिया को न छोड़ना चाहिए ।

132. विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत बोर्ड जलयानों पर आग का प्रयोग :- बार्फ में किसी न किसी जलयान के बोर्ड पर आग का प्रयोग करने विशेष अनुमति केलिए सभी आवेदन अफराहन 5.30 के पहले उप संरक्षक को लिखित रूप में भेजना होगा ; यदि मंजूर हुआ तो उप संरक्षक दबारा प्रष्ठांकन हो जाने के बाद आग का प्रभारी व्यक्ति के पास आवेदन रखा जाएगा, तथा पुलिस अधिकारियों को दिखाया जाएगा ।

133. जलयानों में पोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों की प्रवेश योग्यता :- पोर्ट में जलयानों तथा उनके सभी भारों को मुक्त करना चाहिए तथा आग व दिया से संबंधित प्रयोजनों केलिए निरीक्षणार्थ पुलिस अधिकारियों केलिए प्रवेश योग्य बनाना चाहिए तथा इन विनियों के विरुद्ध कोई आग या दिया को बुझाने केलिए सुरक्षा विभाग या आग सेवा के सदस्य या कोई पुलिस अधिकारी के कोई आदेश का तिरस्कार न करना चाहिए ।

134. कठिपय परिस्थितियों में माल को हुआ नुकसान केलिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं :- अपने नियंत्रण में न होनेवाली परिस्थितियों में आग या आग को बुझाने में उपयोगित पानी, वर्षा, अन्य अपरिहार्य कारणबश माल को हुआ नुकसान या क्षति केलिए बोर्ड उत्तरदायी न होगा ।

135. माल के भंडारण केलिए जगह देने में बोर्ड उत्तरदायी नहीं :- अपने गोदामों में या खुले कोई माल के भंडारण केलिए मंजूर न करने का हक बोर्ड के पास होगा ।

136. दंड :- महापतन न्यास अधिनियम, 1963 में स्पष्टतः दंड केलिए उपबंध होने के अलावा इन विनियमों का भंग करने से एक हजार रूपये दंड होगा । तथा जब भंग अविच्छिन्न होता रहता है, हर दिन से केलिए एक सौ रुपये तक आगे जुरमाना लगाया जा सकता है ।

137. स्पष्टीकरण :- इन विनियमों के स्पष्टीकरण से संबंधित कोई प्रश्न उठने पर, मामला बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोर्ड ही इस पर निर्णय लेगा ।

परिषिक्षा "क" रजिस्टर नं.....

(विनियम 78 (2) देखिए)

नियांत्रित आवेदन

सेवा में
यातायात प्रबन्धक,
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

महोदय,

कॉर्प का नाम : कोचिन
वेसल का नाम *
शिपिंग लाइन का नाम.....

कॉर्प का नाम : एजन्ट या चार्टर का नाम.....

बाध्य निम्नतिवित मालों को एस.एस./एस.वी. जहाज में निपटाइए

पोर्ट का नाम :	कोचिन	वेसल का नाम *	शिपिंग लाइन का नाम.....	एजन्ट या चार्टर का नाम.....				जहाज की राष्ट्रियता.....				जहाज में निपटाइए			
				पांडा	देश	पांडा	देश	पांडा	देश	पांडा	देश	पांडा	देश	पांडा	देश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

लिपिक के आध्यक्षर

कोचिन पोर्ट ने रूपये की रकम प्राप्त की है (रु. ऐसे) के कृते पर प्राधिकृत किया गया है ।

दिनांक..... 19.....

प्रोफ के आध्यक्षर

* वेसल स्ट्रीपर, यात्री जहाज, टैकर या कोलिन्यार है यह स्पष्टतया व्यक्त करना है ।

हस्ताक्षर

परिषिद्ध “बी”

(विनियम ८५ (क) देखिए)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

आयात कारों के लिए रसीद

पेसर्व. से मछली.
एकनस आया कोचिन पोर्ट से निम्न पाल, कस्तु एवं अनजाने कस्तु की स्थिति के पोर्ट/स्टीम बहाज
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के दिन/गति. के दैणन आनेवाले । गां ने द्वाप लक्ष्मीविश्वा
गया कारों ।

गया कारों ।
कम् १, कम् २, कम् ३, कम् ४ / कम् ५, कम् ६, कम् ७, कम् ८ पां
हाच संख्या. क्रेन/ड्रिक
गया कारों ।

विव.	पारेज का विवरण	पारेज की संख्या, एक अनुभाग में ५ स्ट्रोक-दाती वे-अंकित पारेज	कुल	भार			टिप्पणी
				उल	हिन्दूल	किंगम	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
निक्षम सप्तव सप्तव	एच.एम. से एच.एम. तक						

एजन्ट के दाती करते

वार्क अधीक्षक

पोर्ट के शोह करते

परिशिष्ट “सी”

(विनियम 85 (क) देखिए।)

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

आन्ध्राप्रदेश कानूनों के लिए रसीद

(दुरा या बिमाडा पाकेज)

संख्या.....

एजन्टस द्वारा कोचिन पोर्ट से निम्न भाल, कस्तु एवं अनबाले कस्तु की स्थिति के बाटा/स्ट्रीम बहाव से से के दिन/रात के द्वारा अनेकाले 1 गांग नं द्वाय हस्तन किया

नेसर्व

ग्राम 1, कम्बू 2, कम्बू 3, कम्बू 4 / कम्बू 5, कम्बू 6, कम्बू 7, कम्बू 8 पर भेजन/उपीक
हाल संख्या 1

कम्बू 1, कम्बू 2, कम्बू 3, कम्बू 4 / कम्बू 5, कम्बू 6, कम्बू 7, कम्बू 8 पर भेजन/उपीक
हाल संख्या 1

कम्बू 1, कम्बू 2, कम्बू 3, कम्बू 4 / कम्बू 5, कम्बू 6, कम्बू 7, कम्बू 8 पर भेजन/उपीक
हाल संख्या 1

चिह्न	पाकेज का विवरण	पाकेज की संख्या, एक अमुभाग में 5 स्ट्रोक -याती बे-अप्लिन पाकेज	कुल			भार	ट्रिप्पणी
			दर	किलो	कि.ग्राम		
1	2	3	4	5	6	7	8
निकलने समय से एवं एम.तक							9

एजन्ट के याती बताक

पोर्ट के शोड कलाक

वार्क अधीक्षक

परिशिष्ट “टी”

(विनियम 85 (क) देखिए)

कोचिंग पोर्ट इस्ट

आयात कार्ग के लिए रसीद (शाराब)

संख्या:

नेपाल..... एकमात्र दारा कोचिंग पोर्ट से निम्न फाल, कस्तु एवं अमज्जाने कस्तु की स्थिति के पोर्ट/स्टीम ब्राउन के दिन/पाते..... के दैरण आनेवाले | के दैरण आनेवाले | जिन नेपाल राजन विद्या

गया कार्गी |
काठू पार

मैली बोलिङ
ब्रेन/डर्टिक

चिह्न	पाकेज का विवरण	पाकेज की संख्या, एक अमुम्भा में 5 स्ट्रॉक-याती बे-अंकित चाकेज	कुल		ट्रॉन में भार	ट्रिपणी
			कुल	ट्रॉन में भार		
1	2	3	4	5	6	
निकासी सम्पर्क	एस.एस. से एच.एम.तक					

ट्रिपणी:- माल लोकाकास्ट/ट्रिपिस्ट शेड में निकासी करने के समय तक स्टीमर एवन्स्ट्रो के देखभाल में होने रुथा कस्तु को छाति या कम्पी के लिए चिक्की भी प्रकार का उत्तराधिकार नहीं करते ।

पोर्ट के शोह बल्कि

वार्क अधीक्षक

(विप्रियम् ४७ देखें)

आयात आवेदन

甘
漢

यातायात प्रबंधक,
कोविन वेर्ट टस्ट

४८

.....पोर्ट से आशा एस एस /एम लीसे उत्तराख हुआ निम्नलिखित मात्र को कृपया स्वीकार करें |

पोर्ट का नाम : कोलंबिन		प्रकृति-या चार्टर का नाम		आयातकली का नाम			
जलयान *	का नाम	दुड़ा की गायधनता	प्राप्ति-	प्राप्ति-	प्राप्ति-	प्राप्ति-	
			दान का	प्राप्त व देश	दान का	प्राप्ति-	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

लिंगिक के आद्य भार

कोविन पोट की ओर से कर्म करने तिथिकृ प्राप्तिकृत (रु.

..... दिनांक 200..... लिपिक के अध्यक्षा
..... गोपन के अध्यक्षर विभिन्न समाजकार्य परं महत्व वेद्या अधिकारी

۲۷۸

* यह स्पष्टतः बताना होगा कि बत्तयान स्टीमर, सप्टियाना जलयान, टैक्सर या कोटियर यान हो।

परिशिष्ट “एफ”

(विनियम 99 (1) देखिए)

खतरनाक माल तथा विस्फोटकों, जो विनियम संख्या 99 के अन्तर्गत बाफ परिसरों में प्रवेश नहीं किए जाते कि निम्न सूची जलयान के मास्टरों च मालिकों तथा ट्रस्ट अधिकारीयों के सूचनार्थ घुमाई जाती है ।

ए. 2. मोनोबेल

एटिटिलीन

अल्युमिटोल

अमटोल

एम्बराइट सं. 1

एम्बराइट सं. 2

अमोनाइट

अम्बूनिष्ट्यन

अम्बीस

अरडीर गेलिगनाइट

अरकाइट

बालिस्टी

बेलाइट

ब्लास्टिंग एम्बराइट

ब्लास्टिंग जेलाटिन

ब्लास्टिंग मटागनाइटिंग

बोंबस्, फिल्ड

सी. एल. चूर्ण

काल्सियम फोसफाइट

काल्सियम फोसफाइड

कांबराइट सं. 2

कामफराइटड जलाटिन

मोमबत्ती, धूम, ग्रैंड भार्क II

कानोनाइट

कारबाइड औफ कालिंस्यम *
 कारबो जलाइन
 कारबोनाइट्स
 केनन शेल, खानों के विस्फोटन आदि के लिए काट्रिडजस तथा चार्ज सुरक्षा काट्रिडज न होने वाले छोटे हथियारों के लिए काट्रिडजस काट्रिडजस सिगनल छिलचर्त धूप्रहीन चूर्ण सं . 2
 ब्लॉरेट मिश्रण
 ब्लॉरेड तथा नैट्रजन का अयोडैड
 कोल्होडिन
 कोल्होडिन कोरन
 कूपल का चूर्ण
 कोरडैट
 कोरडैट, एम.डी.

* विनियम संख्या. 104 तथा 105 के अनुसार प्रवंश किए जाएं ।

डाम्पैट ए
 डेटोनेटर्स
 डैनामिट
 डैनोबल सं. 2
 डैनोबल सं 3 एवं 4
 डैनोबल नियाति सं. 3
 ई.सी. चूर्ण कंपनी का रैफिल चूर्ण जेबी पेटेन्ज
 ई.सी. स्पोर्टिंग चूर्ण
 मितव्ययी धूप्रहीन स्पोर्टिंग चूर्ण
 विद्युत डैनोटोस
 विद्युत फ्लूज
 विद्युत प्राइमेर्स
 इलक्ट्रोनाइट सं. 1
 इलक्ट्रोनाइट सं. 2
 एले धूप्रहीन स्पोर्टिंग चूर्ण
 एमराल्ट चूर्ण
 एमायर चूर्ण
 फार्मेस डाइनामिट

फेवरषम चूर्ण
 भरा ब्लै
 फिल्स- रही या नैट्रो बेस की व्यवधि बस्तु
 फ्लेयर पैराकूट
 फोर्मटिस विस्फोट सं . 1
 फोर्मटिस विस्फोट सं. 2
 फोर्मटिसिन
 फ्रॉन्कैट
 फ्रिकशन ट्यूबस
 फुलमेन चूर्ण
 फुलमिनेट आफ मरकुरी
 फुलमिनेट्स
 फ्यूज लाइटर्स
 गतार्स्ट चूर्ण
 जलाटिन डाइनामिट
 जलाटिन पैमेस
 जेलिगनैस
 ग्रीनेस चूर्ण
 ग्रेनेडस, हाथ भरा
 ग्रेनेडस, हाथ से या रैफिल्स से भरा
 ग्रेनेडस, रैफिल्स से भरा
 प्राइमर के रूप में शुष्क गण कोटन
 गीली गण कोटन
 गण कोटन, यांड
 गणपाऊँडर
 एडियल चूर्ण
 इगनैटर्स सुरक्षा फ्यूज
 इंपीरियल शुल्टैज गण पाऊँडर
 इनस्टन्टेनियस फ्यूज
 काइनाइट
 काइनोक का धूम्रहीन स्पोर्टिंग पूर्ण
 लाइट लोड धूम्रहीन
 लाइट सिगनल्स

लाइटनिंग पार्कडर
 लितो फ्राक्टयुर
 लिडाइट
 मटाग्नेट जलाटिन
 मिलिट्री विद्युत ट्यूब्स
 मोनोबेल सं. 1
 एन.एस. धूम्रहीन
 नीयो चूर्ण सं. 2
 नियोनाइट
 डियाजो बनस्पोल का नैट्रट
 नैट्रटड गण कोटन
 नाइट्रो मिलिसिटि
 नोबल अरडीर चूर्ण
 नोबल का विशेष चूर्ण
 सामान्य धूम्रहीन चूर्ण
 ओयरे चूर्ण
 ओरायट
 ओक्सालाइट ब्लास्टिंग चूर्ण
 प्रेमड्राइट
 फोसफोन
 फोसफरस
 फोसफरस अमोरफस*
 फोसफर्स सलफाइट*
 पाइरेटस
 पिक्रिक चूर्ण
 पीजियन का मिलिट्री धूम्रहीन चूर्ण
 पीजियन का स्पोर्टिंग धूम्रहीन चूर्ण
 पोर्ट फायर
 पोटन्टाइट
 किक फायरिंग अम्फुनेशन
 किक माच
 रेलवे प्लॉयर लाइट *
 बमों के लिए रिले

रेमिंगटन डेन्स चूर्ण
 रेक्साइट
 राइफिल गण कोटन
 रिफ्लाइट
 रिप्लीन
 रोब्राइट
 बार रोकर्स
 रोसलिन ब्लास्टाइट
 रोसलिन धूग्रहीन चूर्ण
 रुची चूर्ण
 सामसोनाइट
 सो डस्ट तथा गण कोटन चूर्ण
 शुल्ज ब्लास्टिंग चूर्ण
 शुल्ज गण चूर्ण
 विस्कोटक होनेवाले टोरपेंडोस व शंख
 भरा व प्यूज किया शेल
 सिगनल, मोटर धूम्र
 स्मोक बाल्स
 धूम्ररहित ब्लास्टिंग चूर्ण

● विनियम सं. 104 व 105 के अनुसार प्रवेश किए जाएँ

धूम्ररहित डैमन्ड
 धूम्ररहित चूर्ण
 स्टारबेल
 स्टोनाइट
 स्टोमाकेट चूर्ण
 स्टोमाकेट धूम्ररहित
 टेरिबाइन या सनझायर्स
 टोनाइट या कोटन चूर्ण
 टोनाइट
 द्रनाइट्रो - टोलूल(द्रोटल)
 ट्रोइसडोफ धूम्ररहित चूर्ण
 विस्फोटक फोडने के लिए ट्यूब
 विक्टर चूर्ण संख्या. 2


वैकिंग (नियति) सं. 1
 वैकिंग (नियाति) सं. 2
 वैकिंग चूर्ण सं. 1
 वैकिंग चूर्ण सं. 2
 बोन फोरस्टर्स का धूप्राहित चूर्ण
 बालस्ट्रोइड चूर्ण
 बार राकेट
 बैस्टफ्लाइट सं. 1
 बैस्टफ्लाइट सं. 2
 साइलोइडिन या नैट्रो-स्ट्राक पाइरोसिलिन

परिशिष्ट “जी”

(विनियम 102 देखिए)

विनियम 102 के प्रचालन से विस्फोटक नियम, 1940 की अनुसूची 1 की श्रेणी सं. 7 के प्रभाग में निर्वाचित प्रकार तैयार किए फाइरबॉक्स हटाए गए।

अलूमिनियम मैच्स
 अलूमिनियम टोरच्स
 ब्रिल्लियन्ट स्टार मैच्स
 चैमीस क्राकेस्स
 कलेड फायर
 विद्युत स्पर्कलर केंडिल्स
 गेल्डा स्पार्कलर
 माजिक केन्डिल
 माजिक वाइर
 मग्नीशियम टोरच्स
 मीटर माच्स
 सिलब्रास स्पार्कलर
 स्टार माच्स
 बन्डर केन्डिल्स



- आलक्लोइड्स, जहरीली तथा उनकेनमक
असिलैन (असिलैन तेल, फोर्मैलअसिलैन, असिनोबेनज़ीन)
असिलैन (हाइट्रोक्लोराइड (असिलैन क्लोराइड, असिलैन साल्ट)
आन्तियणी लाकटे
आन्तियणी पोटासियम टेरटराइट (टारटार एसिटिक)
आन्तियणी सल्फाइड
आरसेनिक आसेंड, द्रव
आरसेनिक ब्रोमाइड
आरसेनिक कोपौन्ड, द्रव आरसेनेट, आरसमाइट्स,
सल्फाइड्स तथा आरसेनिक ओरानिक कोपौन्डों को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर¹
आरसेनिक कोपौन्डघन आरसेनेट, आरसमाइट्स, सल्फाइड तथा आरसेनिक ओरानिक कोपौन्डों को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर²
आरसेनिक मेटल
आरसेनिक पेन्टोब्राइड
आरसेनिक ट्रिक्लोराइड (आरसेनिक क्लोराइड, आरसेन इस क्लोराइड, आरसेनिक बट्टर, कास्टिक आरसेनिकक्लोराइड, कास्टिक तेल या आरसेनिक, प्लूमिंग लिकिड आरसेनिक)
आरसेनेकट्रियोडाइड (वैट आरसेनिक)
आरसेनिकल डस्ट (आरसेनिकल फ्लूडस्ट)
बोरियम कोपौन्ड, बोरियम सलफेट को अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर
बोरियम साइनाइड
बोरिलियम कोपौन्ड
कोकोडाइलिक आसेंड (डाइमीतेल आरसेनिक आसेंड)
काल्सियम साइनाइड
क्लोरोडेनाइट्रोबेन्सीन (डेनाइट्रोक्लोरोबेन्सीन)
क्लोरोपयोरासन (ट्राइक्लोरासन इट्रोपोरासन)
क्लोरो- औरतो टोल्यूडिन
कोप्पर साइनाइड
साइनाइड, फेर्रीसाइनाइड तथा फेरोसाइनाइड को अन्यथा निर्दिष्ट को मिलाकर³
ओ- डैक्लोरोबेन्सीन
पी- डैक्लोरोबेन्सीन
डिसक्लोरोमीतेन (मेथिलीन क्लोराइड)
डिसब्लैल सलफेट (इंवील सल्फेट)
डैमीतेल सलफेट (मीतेल सल्फेट)
डेनाइट्रोबेन्सीन (उदा: मेटाडेनाइट्रो बेन्सीन)
डेनाइट्रो- औरतो - एरोसोल
डेनाइट्रोलुस्मस , द्रव
संक्रमणकारी यदि जहरीली वस्तु समृद्ध अनुपात में हुई तो (सक्रिय मौलिक संकट के अनुसार)

फार्मासाइट्स (भावित्य पैलिक मक्ट के अनुसार)

हालोजनेटर्ड उत्तेजक द्रव वस्तु (उदा:- मोथल ब्रोमोअसेटोन)

हाइड्रोसाइनिक आसिड द्रव जो भार से ५ प्रतिशत हाइड्रोसाइनिक आसिड से ज्यादा न हो ।

हाइड्रोजन साइनाइड, अनहैड्रस, स्टबिलाइसड (हाइड्रोसाइनिक आसिड, प्रौसक आसिड)

कीचनाशी, घन जो ६५° सेन्टीग्रेड से ज्यादा प्रब्ल्यूलन ताप होनेवाला द्रव या संपीड़ित गैस के अंतर्गत लेड आरसेनेट

लेड आरसनाइट

लेड साइनाइड

मेरकुरीरिक वलोराइड, सब्लिमेंट, मेरकुरी बैवलोराइड

मेरकुरस नैट्रट, मेरकुरस नैट्रट

मेरकुरस सलफेट

मेरकुरी अस्ट्रेट

मेरकुरी अमोणियम वलोराइड

मेरकुरी बेनसोएट

मेरकुरी बैवलोराइड ("मेरकुरीरिक वलोराइड" देखें)

मेरकुरी बैसलफेट

मेरकुरी ब्रोमाइड

मेरकुरी क्रोपाउन्डस, मेरकुरस वलोराइड कर्ने छोड़कर अन्यथा बिनिर्किट न हो ।

मेरकुरी साइनाइड

मेरकुरी ग्लूकोनेट

मेरकुरी अयोडाइड

मेरकुरी नूबिलयेट (मेरकूरोल)

मेरकुरी ओलियेट

मेरकुरी ओवसाइड

मेरकुरी एबसीसाइनाइड

मेरकुरी गोट्टासियमायोडाइड

मेरकुरी सालिमिलेट

मेरकुरी तयोसाइनेट

माइट्रो इधन आ-एटी नांक क्रोपाउन्डस, (इंटेल फॉर्मूला)

नाफ्टाइलूरेश

निक्कल साइनाइड

निक्कोटिन

निक्कोटिन क्रोपाउन्डस तथा उसकी तैयारीयाँ, जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं

निक्कोटिन हाइड्रोवलोराइड तथा उनके द्रव

निक्कोटिन सालिसिलेट

निक्कोटिन सल्फेट, घन या द्रव में

निक्कोटिक यारटरेट

पी. नाइट्रोआनिलिन (पारानाइट्रोआनिलिन)

नाइट्रोबेन्सीन (नाइट्रोबेन्सोल, मिराबेन तेल)

पी. नाइट्रोहीनोल (पारानाइट्रोफोनिल)

नाइट्रोटोल्यून औथरो-पारा-नाइट्रोटोल्यून

ओवसालिक आसिड

ओब्सर्वेटिव नमक

परातियोन

पारातियोन तथा मिश्रण, घन, द्रव या संयुक्ति गैस (हैश्टे-पी-नैट्रो-फिनैल थ्योफोसफेट्स)

ऐन्ट्रावलोराइट्रीन

फोनोल (क्लरबोलिक आसिड)

एम. फेनैलानिडियामिन (मेटाफैनैलानिडियामिन)

पोड्हासिकम आरसेनेट

पोड्हासिकम कुप्रोसाइनाइड

पोड्हासिकम साइनाइड

रोडोनियसाइब्स

झीय क्लिस (मुख्य संकरजनक अंग के अनुसार)

सिल्वर साइनाइड

सोडियम साइनाइड

टेट्रावलोराइट्रीन (असिटिलीन टेट्रावलोराइड)

टेट्रात्रि लेड (टेट्राइट्रो टेट्राइल)

तालियम कॉपोउथ्रस

ट्रिवलोरोएटिलीन

त्रिक साइनाइड

त्रिक फोसफाइड

भाग II

जारसेनिक सेटेट, आरसेनिक फीला, जारसेनिक तरलेट, कोप्पर

जारस्लेट (स्कील्स हरा), कोपर असेटोउआरसेनेट (पेरेंस हरा)

आरसेनिक मेटल

अल्स शिक्कोट्रियस (गन्ज या राति)

बेरियम, बेरियम के सभी नमक

पोटाश का साइनाइड

सोडियम का साइनाइड

हाइड्रोवलोरिक आसिड

ओलिक आसिड या अन्य फ़ाट्टी आसिडों के कॉपोउथ्रस में लेड

मेरकुरिक ऐर बलोराइड

मेरकुरी ओक्साइडस लाल, पीला और करता, अमोगिएट्रु मेरकुरी

मेरकुरी सल्फोसाइनाइडस, मेरकुरिक अयोडाइड लिभर हाइड्रार्ग ऐर बलोरी

हाइड्रार्गरिल सब-बलोरिड

मार्जिं नट्स,

नैट्रिक आसिड

ओक्सालिक आसिड सोडियम ओक्सालेट, पोटॉसियम ओक्सालेट, अमोनियम ओक्सालेट
 प्रूसिक आसिड
 पोटॉसियम हाइड्रोक्साइड
 लाल लेड
 स्ट्राइखनिन, स्ट्राइखनिन नैट्रट, स्ट्राइखनिन सल्फेट, स्ट्राइखनिन
 हाइड्रोक्लोराइड लिकर स्ट्राइखनिन हाइड्रोक्लोराइड तथा सभी अन्य नम कीन द्रव और 0.2 प्रतिशत या ज्यादा
 स्ट्राइखनिन ढमेवाली प्रिफेरेंस
 सलमूरिक भासिड
 सोडियम हाइड्रोक्साइड
 टेट्राइल लेड
 बेंडिगिस
 सफेद लेड

परिशिष्ठ “आई”

(विनियम 107 (ख) (4) तथा (ख) (8) देखें)

**जहाज की अपनी शक्ति के साथ ऊतरनाक पेट्रोलियम निपटानेवाले
 खुले जलयानों के लिए लिंगोइ आवश्यकता**

- (1) ज्यादा तौर पर पेट्रोलियम का बहन करनेवाले जलयानों के लिए लिंगोइ अवश्यकता सोसाइटी नियमों के अनुसार अपनी शक्ति के साथ पेट्रोलियम निपटानेवाले खुले तेल जलयानों का निर्माण किया जाएगा ।
- (2) जहाज के अंत में नोदन करनेवाला संयंत्र रखा जाएगा ।
 (3) नोदन करनेवाला संयंत्र का रक्षण केसिङ प्रधान डेक से ऊँचाई में 2 फीट से कम होनी चाहिए ।
 (4) इस केसिङ में सभी खुली जगह हवा बंद करना चाहिए ।
 (5) इंजन कक्ष या स्टाकहोल्ड में पेट्रोलियम बाष्प के प्रवेश करना निरोध करने आवश्यक कोई अन्य नियमण उपाय लेना चाहिए ।
 (6) जहाँ भाप कागों पंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाज के मुख्य बाइलरों से पूर्ति करना होगा तथा निपटान की शुरुआत के पहले धूम्र ट्यूब को निकालकर धुआकश के साफ करना होगा ।

परिशिष्ठ “जे”

(विनियम (107) (ग) (1) देखें)

**ऊतरनाक पेट्रोलियम तथा उनके उत्पादन तथा अन्य ऊतरनाक द्रव,
 जो 76° एफ (23° सेन्टीग्रेड) के नीचे प्रज्ञालित हैं, की सुची**

पेट्रोलियम तथा अन्य हाइड्रोकारबन तेल, ऊतरनाक जिसका ऊतरनांक 78° एफ (23° सेन्टीग्रेड) से कम हो ।

1. विमानन स्पिरिट
2. बेंजीन
3. बेंजीन (पेट्रोल)
4. बेनसोल

5. बैनसोल
6. बैन्सोलिन
7. इंटील किमानन स्प्रिट
8. गेसोलिन
9. मोटर स्प्रिट
10. मोटर कर स्प्रिट
11. सोल्वेन्ट तेल
12. पेट्रोलियम ईंवर
13. नापत्ता, मिनरल
14. सोल्वेन्ट नापत्ता
15. टोल्यूल
16. वैसील

76° एफ (230° डेन्टीग्रेड) के भीतरे प्रायः सबसे जिक्कु होनेवाले जल्द उपलब्धशील प्रयः

1. अमी आलक्होल
 2. कर्बन कर ऐसल्फैड
 3. कोहलीनिन
 4. ईर
 5. ईर लोर्मिक (ईंटेल कैरसेट)
 6. ईर (सलफ्यूरिक)
 7. ईंटेल अस्ट्रेट (अमोटिक ईर)
 8. ऐटोग्राइक (कोटोग्राइक वा उसी प्रकार के प्रोजेक्टर्स)
 9. ईंटेल बल्लोयड
 10. अब्सोल्यूट आलक्होल
 11. सोल्वेन्ट टेल
 12. सी.पी. मेक्नोल
 13. फ्रैन्च पारिस
 14. औद्योगिक आलक्होल, मिनप्रकार डैनाक्युर्ट :
 - डैनाक्युर्ट मोबा स्प्रिट
 - डैनाक्युर्ट स्प्रिट, साथरन
 - डैनाक्युर्ट स्प्रिट, विजेष
 - मेटिलेट्ड स्प्रिट 15. अर्थितोप्रैष्ठा अग्रालक्होल
 16. मीठेल अल्कोहोल
 17. मीठेल अलक्होल
 18. पचर जलक्लोल तथा पचर आलक्होल विश्रण
 19. परिशोधित स्प्रिट (50° एफ (10° डेन्टीग्रेड) अवरपूर्ण तथा उसके ज्वादा)
 20. स्प्रिट ग्रासीश
 21. स्प्रिट, बाझ तथा देशीब कार्डिनल्स जो 50° एफ से कम (अवरपूर्ण)
- मिनप्रकारः
- अप्रक
 - लिकर
 - म्होबा स्प्रिट
 - टोटी
 - तुड नापत्ता वा तुड स्प्रिट
 - वीलाशी (झज) ज्वलनक्षोल
 - नापत्ता वा अन्य ज्वादा ज्वलनशील द्रव्यों के आंशिक रूप से होनेवाली

- सिर्पेट, कोन्फोसिसन्स पेन्ट, पालिश तथा अन्य वस्तुएं
 25. नेक्सेन ग्रूप सिर्पेट
 26. नेक्सेलस्टर
 27. पेन्ट विज़र
 28. लार्क्स, नैटो-सेल्स
 29. पेन्ट नैटो-सेल्स
 30. पालिश, नैटो-सेल्स
 31. स्टेन्स-नैटो सेल्स
 32. वार्निंग, नैटो सेल्स
 33. सेल्सलोगो अस्टरेट ट्रोप
 34. नैटो-सेल्स ट्रोप
 35. ऐन्ट तथा वार्निंग रिसूर्चर्स
 36. प्लास्टिक तुड़
 37. यालक्सा ब्लूटेक्स
 38. रबट एवं नाइल के रबट ट्रय
 39. इमेल, नैटो-सेल्स
-

टिप्पणी :- यह सूची मिशेली नहीं है :

भारत के राजपत्र असाधारण की धारा 3, (i) उप-धारा (1) भाग II में प्रकाशित

भारत सरकार
 पोत परिवहन मंत्रालय
 (पोत पक्ष)

दिनांक 6 मई, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि.555 (छ) महा पतन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट (स्टीबडोरिंग लाईसेंस की जारी) संशोधन विनियम 1987 का अनुमोदन करती है जो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी पर्णदल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 6-10-1987 एवं 20-10-1987 में केरल के राजपत्र में प्रकाशित किया है तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में संलग्न किया है।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप धारा (च) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन पोर्ट का न्यासी मण्डल केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत निम्न लिखित विनियम, क्रमशः 6-10-1987 और 20-10-1987 के केरल राजपत्र में दो लगातार साप्ताहों में प्रकाशन करके बनाती है।

1. (i) संक्षिप्त नाम :- इन विनियमों का नाम “कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी) विनियम, 1987 है।

(ii) प्रारंभ:- सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे।

2. परिष्पष्ठाएः :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो कि (झ) ‘अधिनियम’ से भवा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है।

(iii) ‘बोर्ड’ से अधिनियम के अधीन कोचिन पोर्ट केलिए गठित न्यासी मण्डल अभिप्रेत है।

(iv) ‘अध्यक्ष’ का अभिप्रेत बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(v) ‘फार्म’ से अभिप्रेत है संलग्न फार्म।

(vi) ‘स्टीवडोर’ से अभिप्रेत है कि विनियम 3 के अधीन एक व्यक्ति/कंपनी को जिन्हें स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी किया गया है तथा विनियम 11 के तहत एक व्यक्ति/कंपनी को जोड़ा गया है जो एक स्टीवडोर है।

(vii) यातायात प्रबन्धक से अभिप्रेत है कि कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के वर्तमान प्रभारी अधिकारी जिनमें यातायात प्रबन्धक के उप एवं सहायक शामिल हैं तथा यातायात प्रबन्धक के प्राधिकारी के अधीन काम करनेवाले कोई अन्य अधिकारी।

3. स्टीवडोरों को लाईसेंस जारी करना

(i) अध्यक्ष पोर्ट एवं वार्फ, पोत घाट, बोर्ड के अधीन मेरुद्धि या डॉक संबन्धी के या डॉक के वा पोर्ट के भीतर जहाजों के स्टीवडोरिंग के दूसरे काम में लगे और जहाजों के बीच में मालों के उतारने एवं शिपिंग काम चलाने केलिए स्टीवडोरों के रूप में काम करने तैयार व्यक्तियों को आवेदन समर्पित करने पर दो साल की अवधि केलिए स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी कर सकता है।

(ii) अध्यक्ष द्वारा इन विनियमों के अधीन जारी किए गए लाईसेंस के अलावा पोर्ट के किसी भी वेसल में काम करने केलिए कोई भी स्टीवडोर को अनुमति नहीं करते हैं।

4. स्टीवडोरिंग काम करने केलिए इस काम की क्षमता द्वाले सबूत का प्रस्तुतीकरण

आवेदक द्वारा सबूत न प्रस्तुत करने से उसे स्टीवडोर के रूप में काम करने की मंजूरी न दी जाती है।


क) बोर्ड द्वारा समय समय पर बताए अनुसार झपुट/औटपुट केमलों का हस्तम संभाल लिया है/संभालेगा।

ख) उनके मजदूरी और प्रतिपूरक पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों और स्टाफों की आर्थिक सहायता की बाध्यता की मुकाबला करने कामगारों के प्रतिपूरक अधिनियम 1923 मजदूरी भुगतान 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या फिलहाल के लिए प्रबल में हुए दूसरी कोई विधि तथा नकद में जमा की गई 1 लाख रुपये या और कोई स्वीकार्य सुरक्षा निष्क्रिय, जो लाईसेंस के मिल्कासम समाप्ति पर वापस की जाएगी/अदा की जाएगी।

ग) अपने रोबगर में न्यूनतम स्टाफों के होने का उत्तरदायित्व लेता है और स्टीवडोरिंग प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति न्यूनतम गियर को संचालित है।

टिप्पणी: जहाज मालिक, जहाज प्रचालक, स्टीमर एजेंट, आयातक और निर्यातक भी लाईसेंस की मंजूरी केलिए योग्य हैं।





५. स्टीवडोर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :

हर स्टीवडोर स्टीवडोरिंग लाइसेंस के प्रचार के दौरान अध्यक्ष द्वारा निम्नांकित कर्तव्य आभार और बताए गए उत्तरदायित्व के अनुसार होंगे अर्थात्

- क) उत्तर और शिर्पिंग या मालों के यानान्तरण या आकस्मिक काम प्रचालन के दौरान डॉक काम गार (सुरक्षा , स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम , 1986 के प्रावधान के अनुसार और डॉक काम गार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम , 1990 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अधीन जारी किए संशोधन, बोनस भुगतान अधिनियम , 1965 और नियम , विनियम और योजना के अधीन जारी किए गए प्रचालन से संबंधित तथा प्रबल में हुए प्रावधानों को सुनिश्चित करके नियोजित सभी स्टाफ और काम गारों का अनुपालन करना है ।
- ख) उनके द्वारा अपनाए या प्रभारित गियर के साथ प्रचालन का कार्य संभालेगा ।
- ग) उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गियर से संभव होनेवाली कोई दुर्घटना या परिणत होनेवाली क्षति के लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी होगा ।
- घ) उनके द्वारा प्रचालन संबंधी स्वीकृत सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाएगा ।
- ङ) प्रचालन से उत्पन्न होनेवाले सभी थर्ड पार्टी दावों को छिलाफ बोर्ड के समक्ष सुरक्षित रखना है ।
- च) जब कभी पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को अपने नियोजित कर्मचारी या काम गार या उनके आश्रितों को काम गारों के प्रतिपूरक अधिनियम 1923 के प्रावधान के अधीन नियोजित अपने कर्मचारी या काम गार या उनके आश्रितों को प्रतिपूरक भुगतान करना पड़ता है, एक स्टीवडोर या कोई कर्मचारी या काम गार द्वारा काम निष्पादित करते समय होने कोई दुर्घटना के फलस्वरूप काम गारों के प्रतिपूरक अधिनियम , 1923 के प्रावधान के अधीन, भुगतान किए विस्तीर्ण करना को स्टीवडोर द्वारा बोर्ड को वापस करना पड़ता है जो किसी कारणवश, काम गारों के प्रतिपूरक अधिनियम , 1923 के अधीन बताए गए प्रतिपूरक की मात्रा को बोर्ड और स्टीवडोर के बीच बाध्यकारी और नियायिक मान लगा ।
- छ) प्रचालन के समय में पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के यादि कोई गियर लान्ट और अन्य संपत्ति को क्षति हो जाती है तो उचित जाँच पड़ताल के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए अनुसार स्टीवडोर ऐसे नुकसान या क्षति के लिए बोर्ड को प्रतिपूरक देना पड़ता है ।
- ज) प्रतिक्रिय की भुगतान, मात्रा या इससे संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित विवाचक से वह कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और उनके बीच के कोई विवाद या भिन्नता को सूचित करने के लिए समझत हो सकता है ।
- झ) हर एक बहाव के निरीक्षण के लिए जिसके उन्हें स्टीवडोरिंग प्रचालन काम संभाल लिया है, एक अनुभव संपन्न आदमी को नियोजित करने के लिए वह उत्तरदायी होगा ।
- ञ) पोर्ट ट्रस्ट या पोर्ट ट्रस्ट के कोई अधिकारी द्वारा समय समय पर मांगी गई सूचनाएं सही रूप से प्रस्तुत करेगा ।
- ঠ) वह यह सुनिश्चित करें कि पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड/कोचिन डॉक लेबर बोर्ड के सभी देश नियुक्त तारीख को ही भुगतान किया जाए जिसके बाद पर उसके लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन रह किया जाएगा ।
- ঢ) अधिकतम निष्पादन से साथ आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करके उनके द्वारा नियोजित काम गारों के लिए काफी पर्यावरण का उपबन्ध किया जाएगा ।
- ঴) अमुक टाइप के कारगों के लिए आवश्यक सभी गियर, यथावत् निरीक्षण किए उपस्कर्तों का उपबन्ध किया जाएगा ।
- স) निरीक्षण डॉक सुरक्षा या यातायात प्रबन्धक द्वारा मांग करने पर या आवधिक निरीक्षण के लिए आवश्यक तापमानशीलता और निरीक्षण प्रमाणपत्रों के साथ गियर, उपस्कर्त प्रस्तुत किया जाएगा ।
- ণ) काम गारों को आवश्यक या कार्गो के लिए योज्य होनेवाला उचित रक्षापूर्वक सुरक्षा उपकरणों का प्रबन्ध करना पड़ेगा ।
- ত) शिफ्ट अवधि के समय कर्मस्थल पर, अवकाश घटे के समय को छोड़कर मजदूरों की लाभता सुनिश्चित करना है और साधारण औपचार्य का उत्पादन प्राप्त करना । दिनांक 17-4-95 के सा.सि-345 (ঠ) के तहत प्रतिस्थापित है तथा

जब कभी औटपुट साधारण से नीचे हो जाती है तो निष्पादन की प्रगति करने के लिए प्रभावी करम उठानी चाहिए ।

- अ) बोर्ड वेसलों की भराई, कारगो के ब्रेकिंग, कारगो के स्टार्किंग कारगो के नौभरण वेसे सहायक प्रचालनों का काफी प्रबन्ध करना पड़ेगा ।
- ब) केन्द्रीय सरकार एवं पोर्ट आन्ड डॉक कामगार फेडरेष्यन के बीच में समय समय पर लिए गए मजदूरी समझौते के शर्तों के अनुसार उनके द्वारा नियोजित कामगारों को मजदूरी भुगतान करने के लिए वह बाध्य होगा ।
- च) अध्यक्ष को लिखकर पूर्व अनुमोदन के बिना उसे सौंपने, स्थानन्तरण करने या किसी भी प्रकार अन्य हित या लाभ के साथ सहभागी होना व दूसरे अन्य व्यक्ति को लाईसेंसाधीन न होना पड़ेगा ।
- द) उसे यातायात प्रबन्धक द्वारा सुरक्षा की सुधरे निष्पादन और श्रम अनुशासन की भलाई में समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करना पड़ेगा ।

6. लाईसेंस के नवीकरण मंजूरी के लिए आवेदन :

- i) स्टीवडोरिंग लाईसेंस को मंजूरी या नवीकरण के लिए यातायात प्रबन्धक को संबोधित करके फर्म 'ए' में आवेदन देना। पड़ेगा ।
- ii) आवेदक को लाईसेंस जारी करने या नवीकृत करने के पहले 4500/- रुपये के लाईसेंस शुल्क भुगतान करना पड़ेगा । यह एक अनुजापिधारी स्टीवडोर को लाईसेंस के अधीन अनुमत काम के उचित निष्पादन के लिए 5,000/- रुपये की रकम बयान। निष्क्रेप के रूप में जमा करना पड़ेगा । बयान। निष्क्रेप को व्याज नहीं मिलेगा तथा बोर्ड के किसी दावों की टिकाऊ करने के बाद लाईसेंस प्रचलन बन्द कर दी जाएगी ।
- iii) आवेदक को सुरक्षा निष्क्रेप के रूप में एक लाख रुपये की रकम बैंक यारंटी स्टीवडोरिंग लाईसेंस के प्रचलन के समय मुकाबला करने की क्षमता के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा । 2 वर्ष से कम नहीं है । ताकि आकर्षित कराओं की मुकाबला कर सकते हैं ।
- iv) इन विनियमों के अधीन मंजूर या नवीकृत किए गए हर लाईसेंस "फर्म बी" में होगा ।
- v) लाईसेंस की समाप्ति के लागतग 60 दिनों के पहले स्टीवडोरिंग लाईसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन देना। पड़ेगा । 60 दिनों के अनुबन्ध समय के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन यदि प्राप्त नहीं होता है तो बशर्ते कि यातायात प्रबन्धक द्वारा विलंब शुल्क के साथ नवीकरण के लिए आवेदन लाईसेंस की वास्तविक समाप्ति तारीख के पहले 30 दिनों के भीतर स्वीकृत किया गया है तो ऐसे आवेदन 500/- रुपये के भुगतान पर अध्यक्ष स्वीकृत कर सकते हैं ।
- vi) असली लाईसेंस के छोने या बिगाड़ने पर, यातायात प्रबन्धक को आवेदन देने पर एवं एक सौ रुपये की भुगतान पर नकली लाईसेंस प्राप्त कर सकते हैं ।
- vii) लाईसेंस नवीकरण जारी करने के पहले "निरीक्षक" से डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अधीन सुरक्षा निष्पादन संबंधी तथा डॉक सुरक्षा हैसियत के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना है जिसे कि लाईसेंस नवीकरण की मंजूरी के भवसर पर मान लिया जाएगा ।

टिप्पणी :- आवेदक को इन विनियमों की धारा 4 (छ) के अनुसार स्टीवडोरिंग लाईसेंस के प्रचलन के दौरान एक लाख रुपये मूल्य की एक बैंक यारंटी भी प्रस्तुत करना है ।

7. नाम में परिवर्तन, गठन आदि की सूचना देना

- i) जब स्टीवडोर एक फर्म या कंपनी होता है, तो उसे निदेशक, प्रबन्धकीय निदेशक या साझेदारी में द्वारा परिवर्तन के संबंध में तुरन्त ही अध्यक्ष को परिवर्तन के समर्थन करनेवाले दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ सूचना देना। है ।
- ii) स्टीवडोरिंग लाईसेंस धारण करनेवाले फर्म या कंपनी के नाम, संस्कारण या शीर्षक में कोई परिवर्तन हो तो उसे तत्काल ही अध्यक्ष को सूचित करना है । इस प्रकार के परिवर्तन लासेवाले कंपनी या फर्म को नए लाईसेंस की मंजूरी के लिए ताजा आवेदन देना है; बशर्ते कि अध्यक्ष ऐसे ताजे आवेदन पर एक निर्णय लेने तक इस प्रकार के फर्म या कंपनी को व्यवसाय भारंभ करने के लिए अनुमति दे सकता है । नए लाईसेंस की जारी करने के लिए देय प्रभार ताजे लाईसेंस की जारी केम मालों पर संलग्न करना है ।

* दिनांक 17-4-95 के सा.से.नि. 345(छ) के तहत जोड़ा गया है ।

8. जांच पड़ताल के लिए लंबित लाईसेंस को निलंबित करने के लिए अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष से यातायात प्रबन्धक स्टीवडोर द्वारा स्टीवडोरिंग लाईसेंस के शर्तों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करें और अध्यक्ष पोर्ट की भलाई में यदि उचित और आवश्यक समझ जाता है तो स्टीवडोर को जारी की गई लाईसेंस, लंबित जांच-पड़ताल पर तीन महीने से न अधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकता है।

9. लाईसेंस का निलंबन

1) स्टीवडोर द्वारा लाईसेंस के किसी शर्तों के उल्लंघन के लिए या नीचे बताए गए किसी कारणवश अध्यक्ष स्टीवडोर को जारी किए गए लाईसेंस रद्द या उन्हें आवश्यक उचित समयावधि के लिए लाईसेंस निलंबित कर सकता है।

i) सुरक्षा उपायों का उल्लंघन

ii) निम्नतम उत्पादकता

iii) स्टीवडोरिंग कामगारों पर पर्यवेक्षण की कमी

iv) पैकेजों का अनुचित और असुरक्षित नस्तन करना

v) माल तट्ठों का मिथ्या निरूपण या अयथार्थ विवरण देना

vi) स्टीवडोर को दिवालिया दण्डित करना या परिसम्पनाधीन पाना

vii) पोर्ट के किसी काम में बाधा उत्पन्न करना

viii) कोई अन्य व्यक्तिगत या पार्टियों को काम शिकायी देना

ix) किसी दूरी आदत देख लेने पर बोर्ड की राय में रद्द करने या निलंबित करने कहना

2. स्टीवडोर के लाईसेंस को रद्द करने या निलंबित करने के पहले उचित कारण बताने का अवसर देने के बाद ही उसे रद्द करने या निलंबित करने की बात रिकार्ड करने के बाद ही स्टीवडोरिंग लाईसेंस को रद्द या निलंबित करेंगे।

10. अपील

i) अध्यक्ष के आदेश पर कोई व्यक्ति इन विनियमों के अधीन लाईसेंस मंजूर करने के लिए मंजूरी या तिरस्कार या लाईसेंस के नवीकरण या तिरस्कार और लाईसेंस के निलंबन पर अपील किए आदेश के खिलाफ तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को लिखकर अपील कर सकता है।

ii) पुनरावेदक पर ध्यान देने के बाद केन्द्र सरकार यथोचित अपना अपील पारित कर सकता है।

iii) यद्यपि विनियम में अन्तर्विष्ट होने के बावजूद 30 दिनों की अवधि के बाद ही अपील स्वीकार करेंगे यदि पुनरावेदक केन्द्रीय सरकार को समाधान करता है कि उनको उस अवधि के भीतर आवेदन देने के लिए पर्याप्त कारण है।

11. इन विनियमों में अन्तर्विष्ट होने के बावजूद, इन विनियमों के जारी करने की तारीख से लागू में आए स्टीवडोरिंग लाईसेंस इन विनियमों के अधीन जारी समझ पायेंगे तथा इस प्रकार के लाईसेंस की कालावधि की समाप्ति तक मान्य माने जाएंगे।

12. निरसन

स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी करने के संबंध में कोचिन पोर्ट आन्ड डॉक विनियम 1975 के विनियम 67 और 68 रद्द किए समझ जाएं।

फार्म - 'ए'

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
यातायात विभाग

सेवा में

यातायात प्रबन्धक
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

स्टीवडोरिंग लाईसेंस की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन फार्म

1. आवेदक का नाम :
2. यदि ज्वाकिगत, फार्म या कंपनी है (साझेदारी कंपनी संबंधी :
कागजात प्रस्तुत करना है)
3. पूरा पता :
4. कितने वर्ष/वर्षों के लिए लाईसेंस आवश्यक है :
5. स्टीमोशेप कंपनी/शिप चार्टर/कार्गो के मालिक
जिनके साथ अपने जहाज/कार्गो की ठेकेदारी के लिए
सहायता या प्रविष्टि प्रस्तावित है (ठेके की अधिक का
सबूत संलग्न करना है। प्रत्येक पार्टी के लिए लगभग
टनेज सूचित करना है) :
6. इस क्षेत्र में पिछले बर्षों का अनुभव (पिछले 3 बर्षों में
स्टीवडोर किए गए कार्गो तथा टनेज का उल्लेख करना
है) :
7. कार्गारों के प्रतिक्र अधिनियम आदि के अधीन भजतूरी,
प्रतिक्र बाध्यता की आर्थिक योग्यता की मुकाबला
करने का सबूत (बैंकरों से आर्थिक योग्यता का प्रमाण पत्र
एवं आय कर निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है) :

8. ठेकेदारी जहाज/कागों के स्टीबडोरिंग केलिए काफो नियर समाहृत करने को / करने केलिए यदि आवेदक, चाहता है ? (नवीकरण के संबन्ध में चालू किए गए गियर की सूची का आवश्यक प्रमाण पत्र का उल्लेख करना है। नए आवेदकों के संबन्ध में चालू करने केलिए प्रस्तवित गियर की सूची देना है) :
9. क्या आवेदक अपनी नौकरी में अनुभव युक्त तथा नियम और विनियम से संपन्न काफो स्टाफ को रखना/ रखने केलिए चाहता है ? (नवीकरण के संबन्ध में नियुक्त कर्मचारियों का विशद विवरण एवं उनके अनुभव और नए आवेदकों के संबन्ध में नियुक्त करने केलिए प्रस्तावित कर्मचारियों का विशद विवरण एवं उनके अनुभव का उल्लेख करना है) :
10. क्या आवेदक ने पोर्ट ट्रस्ट/डी एल डी के साथ हुए कार्य सम्पादन के कलस्वरूप हुई सभी देयों का निष्पादन किया है ? :
11. क्या लाईसेंस शुल्क तथा बयाना निष्पेक की भुगतान की है ? :

(भुगतान की रसीद संलग्न करना है। अगर लाईसेंस जारी नहीं किया है/नवीकृत नहीं किया है तो लाईसेंस शुल्क और निष्पेक बापस कर देंगे।
मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि दिए गए विवरण अपनी जानकारी और भरोसे में सही है।

लाईसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन मान लेने के लिए आवश्यक कोई अन्य सूचनाएं/कोई रिकार्ड निरीक्षण के लिए समर्पित करने के लिए सहमत हूँ।

लाईसेंस की जारी करने पर/नवीकृत करने पर मैं कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के विनियम, 1987 तथा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट प्रभाग डॉक लेबर द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक

‘फार्म- बी’

(पोर्ट ट्रस्ट मुल)

पोर्ट में स्टीवडोरिंग संभालने के लिए लाईसेंस

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|
| 1. | अनुज्ञाप्राप्ति का नाम | : | |
| 2. | पता | : | |
| 3. | मंजूर की लाईसेंस की अवधि | : | |
| 4. | उल्लेख करने के अन्य कोई विवरण | : | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| | (मुल) लाईसेंस प्राधिकार | | |
| | पदनाम | | |
| | स्थान | | |

शर्तें

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 तथा कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस की जारी) विनियम 1987 के प्रावधान के अनुसार यह लाईसेंस मंजूर की है।

बैंक गैरन्टी

गैरंटी संख्या:

अध्यक्ष के मान लेने पर, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन-682 009 (एततद्वारा बोर्ड कहा जाता है) को कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी करना) विनियम, 1987 (एततद्वारा विनियम कहा जाता है) के अधीन मेसर्स..... स्टीवडोरिंग लाईसेंस मंजूर करने के लिए सहभत होकर (एततद्वारा स्टीवडोर कहा जाता है) एवं उक्त विनियम में बताए गए शर्तों को स्टीवडोर द्वारा पालन करने और कोचिन पोर्ट (स्टीवडोरिंग लाईसेंस जारी करना) विनियम, 1987 के विनियम 4 (छ) और 5(iii) के शर्तों के अनुसार 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) रुपये के कुल रकम की गैरंटी का दस्तावेज़ स्वीकार करने के प्रावधान के साथ बशर्ते कि हम..... (बैंक) एततद्वारा बैंक के रूप में

बताया जाता है) मेसर्स के अनुरोध करने पर स्टीवडोर इसके साथ सुरक्षित और कार्यचालन करने के लिए सहमत तो जाता है तथा दुए नुकसान या क्षति या नुकसान होने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए या बोर्ड द्वारा मुक्त किए गए क्षति के लिए उक्त विनियम में बताए गए 2,00,000/- (दो लाख रुपये) रुपये के हद तक की बोर्ड को हुई क्षतिपूर्ति के लिए, या उक्त स्टीवडोर द्वारा उपयुक्त विनियम में बताए गए किसी शर्तों के पालन न करने पर या उल्लंघन करने पर तथा बोर्ड को हुई किसी नुकसान या क्षति व बोर्ड को हुई नुकसान, उठानी पड़ी नुकसान तथा बोर्ड द्वारा मांगने पर दावा की रकम एवं पूर्वोक्त की सीमा तक अधिकतम करना है । इस गैरंटी के अधीन बैंक द्वारा देय और देय रकम के संबंध में बैंक से की किसी मांग निष्पायिक होगी । तथापि, इस गैरंटी के अधीन हमारी देयता 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) रुपये से अधिक न होनेवाली रकम में सीमित करना है ।

2. हम, उक्त बैंक आगे सहमत करते हैं कि बोर्ड द्वारा मंजूर की गई स्टीवडोरिंग के प्रचालन के दौरान इसमें सम्मिलित गैरंटी प्रभावी और पूर्णतः लागू होंगे । अर्थात् स्टीवडोरिंग लाईसेंस के शासनाधिक किसी शर्तों के अनुसार सभी बोर्ड देयों का पूर्णतः भुगतान तथा जारी करने के तारीख से दो साल की अवधि के लिए लाईसेंस प्रवर्तनीय होंगे उसके दावे संतोषजनक या विभावित या उस अवधि तक लागू करने बोर्ड प्रभावित करने के अवधि तक और तदनुसार इस गैरंटी के छुटकारे पर, बशर्ते कि लाईसेंस की समाप्ति के तारीख से बारह महीने के बाद इस गैरंटी पर बोर्ड को कोई दावा न होगा, अर्थात् और तदुपरान्त इस गैरंटी के सभी देयताओं से हम विमुक्त होंगे ।

3. हम उक्त बैंक सहमत करते हैं कि बोर्ड को हमारे सहमति के बिना तथा लाईसेंस के किसी शर्तों व स्थितियों में भिन्नता साकर हमारे विलोपन में प्रभाव न डाले बिना एवं स्टीवडोर द्वारा निष्पातन समय की अवधि बढ़ाने की या स्टीवडोर के खिलाफ समय समय पर लागू किसी प्रांधिकार को प्रांधिकृत करने या किसी समय के लिए स्थगित करने और शासित लाईसेंस के किसी शर्तों को प्रवर्तित करने या इससे दूर रहने एवं स्टीवडोर को मंजूर की गई बढ़ाई या किसी कारणवश हमारे देयता से विमुक्त नहीं होंगे । बोर्ड द्वारा किसी अतिभोग आयुक्त बोर्ड की ओर से कमीशन से अलग रहने के लिए कोई अन्य विषय के संबंध में या स्टीवडोरों के अन्य प्रावधारों के साथ जो कुछ भी हो विधि अनुसार जमानती के अधीन हमारी देयता से हमें विमुक्त करने का प्रभावी प्रावधान होंगे ।

4. हम उक्त बैंक इस गैरंटी के प्रचलन के दौरान इसे रद्द न करने से अलग बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना और बैंक स्टीवडोरों के संविधान में कोई परिवर्तन के साथ हमारी देयता को छुटकारा न देने का अंत में बादा करते हैं ।

5. इसके पहले कुछ अन्तर्विष्ट करने के बावजूद भी इस गैरंटी के अधीन हमारी दायिता 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) में सीमित की है । हमारी गैरंटी दावे के रूप में रहेगी, इस तारीख के पहले गैरंटी के अधीन हमारे खिलाफ फाइल किया है (जो गैरंटी के समाप्ति का तारीख है) । इस गैरंटी के अधीन बोर्ड भी सभी अधिकार अपवर्तित किए जाएंगे तथा हमें इसके अधीन के सभी देयताओं से छुटाएंगे और मुक्त करेंगे ।

दिनांक.....

गवाही

बंक का नाम

1.

2.

गैरंटी संख्या,

समाप्ति तारीख

2,00,000/- रुपये दायिता की सीपा(दो लाख रुपये पात्र)

दिनांकित 14 फरवरी 1989 के केरल राजपत्र में प्रकाशित

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट अधिसूचना

संख्या: बी 2/6025 86/एस

23 जनवरी , 1989

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 की संख्या: 38) की धारा 123, उप धारा 132 द्वारा प्रदत्त शर्तियों की उप धारा (च) और (ट) के प्रयोग में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट न्यासी भंडल द्वारा बनाए जानेवाले निम्न विनियम उक्त जनता की सूचना के लिए उक्त विनियम की धारा 124 के उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित किए अनुसार द्वारा प्रकाशित तथा इसकी उप धारा (1) को बेन्ड सरकार द्वारा अनुमोदित की गई जैसे की :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (खतरनाक/जोड़ियम फ्राइट कन्टेनरों का बहन करने वाले माल) का विनियम, 1987 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से प्रभृत होंगे।

2. परिभाषाएँ

(i) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अनेकित न हो तो पोर्ट से कोचिन पोर्ट अधिग्रेत है।

(ii) खतरनाक माल के लिए “फ्राइट कन्टाइनर” को एततद्वारा “कन्टाइनर” नाम दिया गया है अर्थात् एक या कई तरह के परिवहन द्वारा खतरनाक सामानों के परिवहन के उद्देश्य से एक विशेष रूप से निर्माण किए गए परिवहन उपस्कर से अभिग्रेत है।

टिप्पणी : खतरनाक/जोड़ियम माल के बहन के लिए उपयोग करनेवाले कन्टेनरों को पर्याप्त बल दोने चाहिए जिससे उसके काम में आनेवाले शर्तों द्वारा आनेवाले परिहार्य दबाव का प्रतिरोध करना चाहिए और ये उचित एवं नियमित रूप से रखे जाएं।

(iii) यदि कन्टाइनर का अर्थ एक कन्टाइनर जो एक दरवाजे द्वारा एक बश में या एंडबॉल में लगा किया जा सकता।

(iv) ‘ऑपन-टॉप कन्टाइनर’ का अर्थ कन्टाइनर जिसमें निचला बश एवं एंडबॉल है टब के लिए कोई छत नहीं है।

(v) “टैक कन्टाइनर” का अर्थ ब्रव एवं गेंस बल्क में अनिवार्य शर्तों के अनुसार वितरण एवं परिवहन के लिए विशेष रूप से निर्मित कन्टाइनर है।

(vi) “स्लाइफर्स कन्टाइनर” एक तरह का लदान योग्य स्लाइफर्स है जिसके लिए बाहरी लंबाई एवं चौड़ाई जो कन्टाइनर सीरीज का तल है और इन कन्टाइनरों में केवल और नीचे का फिर्फिस है जो कि वहीं के सुरक्षित एवं लिफ्टिंग उपकरण उपयोग किया जाए।

(vii) “कन्टाइनर स्पेस” एक कन्टाइनर में उपलब्ध जगह है जो एक टी ई यु से तुल्य है। एक टी ई यु का माप 6.1 मी. X 2.4 मी. X 2.4 मी. है। इस दूरी में एक न्यूट्रल कन्टाइनर या कई कन्टाइनर भरे हैं।

(viii) “कन्टाइनर पार्किंग यार्ड” कन्टाइनरों का ढेर लगाए गए प्रांगण है।

(ix) “कन्टाइनर संचालन उपस्कर” द्रान्सफर क्रेन, टोप लिफ्ट ट्रक, फोर्क लिफ्ट ट्रक या कन्टाइनर उठाने के लिए विशेष रूप से निर्मित अन्य कोई उपस्कर जैसे उपकरण है।

(x) “कन्टाइनर जहाज” एक जहाज जिसमें डेक के नीचे या ऊपर कन्टाइनर भरे हैं और इसमें भाल का बल्क के रूप में संचालन करनेवाले कन्टाइनर अनुस्थापित जहाज भी शामिल है।

(xi) “खतरनाक माल शेड”, खतरनाक/जोड़ियम माल रखने के लिए विशेष रूप से निर्मित शेड है।

(xii) “आई एम ओ (आई एम सी ओ)” का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिक्रियान है।

(xiii) “आई एम ओ कोड”, समय समय के संशोधन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय रागुद्वी खतरनाक राष्ट्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिक्रियान द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक कोड है।

(xiv) “चढ़ाव एवं उत्तराव”, समुद्र पर जहाज में कन्टाइनर का रखाव एवं उससे निष्कासन है।

- (xv) “पाकेजस”, खतरनाक सामानों का पात्र एवं खतरनाक/जोखिम माल का बहन करनेवाले पात्र है ।
- (xvi) “पर्किंग एवं अन्पर्किंग”, एक कन्टाइनर में खतरनाक/जोखिम माल का कन्टाइनर रखना और उसे इसका निष्कासन करना है ।
- (xvii) “स्टफिंग एवं डीस्टफिंग” कन्टाइनर माल से भरना और उससे माल का निष्कासन करना है ।
- (xviii) “ट्रान्सपोर्ट ट्राक्टर - ट्रूलर”, सड़क द्वारा सामानों के परिवहन के लिए दोनों स्थायी या अस्थायी रूप से डिसाइन किए गए ट्रूलर संयोजित किए गए परिवहन ट्राक्टर का एक संयोग है ।

3. खतरनाक/जोखिम माल

इस विनियम के उद्देश्य के लिए खतरनाक/जोखिम माल में, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रतिवान, लंदन के अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता द्वारा बर्गीकृत सभी सामान मिलाया है ।

4. खतरनाक/जोखिम सामानों का वर्गीकरण

इस विनियम के उद्देश्य के लिए खतरनाक/जोखिम सामान निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किए जाएंगे । यह आई.एम.डी.जी. संहिता के वर्गीकरणों के आधार पर है ।

श्रेणी 1 - विस्फोटक

श्रेणी 2 - दबाव के अधीन संचालित डिब्बा, द्रवित और विलयन

श्रेणी 3 - जबलनशील द्रव

श्रेणी 4. 1. जबलनशील ठोस

श्रेणी 4. 2. स्वतः दबन होनेवाले सामान

श्रेणी 4. 3. पानी से मिलने पर जबलनशील गैस का उत्पादन करनेवाले सामान

श्रेणी 5. 1. आक्सिडाइसिंग सामान

श्रेणी 5. 2. आवर्णनिक पेरोक्साइड्स

श्रेणी 6. 1. विवैला सामान

श्रेणी 6. 2. औपसर्जिक सामान

श्रेणी 7 - विधटनाशिक सामान

श्रेणी 8 - संक्षरक

श्रेणी 9 - विविध खतरनाक सामान अर्थात् अन्य कोई सामान जो प्रयोग करने पर खतरनाक स्वभाव दर्शाता है उसे खतरनाक सामान समझना चाहिए ।

5. पोर्ट में खतरनाक/जोखिम कन्टाइनर का बहन करनेवाले जहाजों का सामान्य स्वीकरण

(i) पोर्ट में पहुंचनेवाले सभी खतरनाक/जोखिम माल बर्गीकृत, पैक किए गए, लोबल किए गए एवं आई.एम.ओ संहिता के अनुसार अंकित और तदनुसार जहाज/पोतवणिक द्वारा घोषित भी होना चाहिए । कन्टाइनर भी तदनुसार अंकित करना चाहिए और अंतर्वस्तु सूचित करके प्रचालित कंपनी का एक पैकिंग प्रमाण पत्र भी इसके साथ देना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए पोर्ट द्वारा अनिवार्य कॉर्मेट निर्धारित किया जाएगा ।

(ii) कन्टाइनरों को सजाकर रखने से और आई.एम.ओ संहिता की धारा 12 के अनुसार दस्तावेज़ देने के बिना कोई भी खतरनाक/जोखिम माल का जहाज पोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता ।

6. कुछ श्रेणी या मात्रा के खतरनाक/जोखिम माल के जहाजों के प्रवेश में नियंत्रण

पोर्ट विनियमों के अनुसार पोर्ट शेत्र के अन्दर संचालन के लिए अनुमोदित मात्रा को छोड़कर विस्फोटक सामानों के जहाज को केवल उक्त पोर्ट अधिकारियों द्वारा अग्रिमसूचित शेत्रों में या लंगरगाहों में ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

- (ii) दाव के अधीन संगीडित, द्रवीकृत या लिपित गैरों का कोई भी रिलिंडर, विस्फोटक के मुख्य नियंत्रक द्वारा आयात/निर्यात के लिए अनुमोदित करने के बिना पोर्ट के अन्दर लाने की अनुमति न दी जाएगी ।
- (iii) निम्न लिखित श्रेणी और मात्रा के खतरनाक सामानबाले टैक कन्टाइनरों में कोई भी जहाज पर उक्त पोर्ट अधिकारियों द्वारा अग्रिमसूचित मात्रा सीमित की जाएगी, किसी भी भार में सभी श्रेणी की वस्तुएं कुल 50 टन से अधिक न होगी ।

श्रेणी 2 - द्रवीभूत ज्वलनशील या विवैला गैस

श्रेणी 2.1 - ज्वलनशील द्रव उदाहरण कारबन डाइसल्फाइड

श्रेणी 4.2 - स्वतः द्वलनशील द्रव उदाहरण अलूमिनियम आलकाइल्स

श्रेणी 6 - टेट्रा मीताइल लेह (इन्थन संयोजी)

श्रेणी 6.1 - विवैला (संसर्ज) सामान

श्रेणी 8 संक्षारक

श्रेणी 9 विविध खतरनाक सामान

ऐसे सभी कार्गों में, टैक कन्टाइनरों का संचालन दिन में ही सीमित किया जाएगा और पोर्ट शेत्र से सुपुर्दगी लेनेवाले परेषिति के अनुसार भी होगा और यह पोर्ट शेत्र में अधिक समय तक निषेप नहीं किया जाएगा ।

- (iv) पोर्ट की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उप संरक्षक या पोर्ट की जिस अधिकारी पर निर्भर है या पोर्ट के खतरनाक कार्गों के नियंत्रण के लिए विशेष रूप से नामित प्राचिकृत अधिकारी कन्टाइनर्स के खतरनाक वस्तुओं के चढ़ाने तथा उत्तरने की अनुमति दी जाती है ।

7. अग्रिम अविवृत्तना

- (i) जहाज : पोर्ट के प्राधिकारियों को जहाज के आने के 48 घण्टे पहले भास्टर या जहाज के मालिक या एजन्ट को सूचना देना है कि दूर से खतरनाक कार्गों आ रहा है तथा पोर्ट में इसको खासी करना है ।

पहुँचे हुए लोदित या खतरनाक कार्गों के उद्देश्य के बारे में एजन्ट या प्रेषक या परेषिति आवेदन पत्र की 3 प्रतियाँ उप संरक्षक को 48 घण्टे पहले देना चाहिए जिसमें वस्तुओं के पूरे विवरण तथा उनके रासायनिक नाम आई एम ओ कोड नं सहित देना है ।

आवेदन पत्र की एक एक प्रति संलग्नक सहित उप संरक्षक, कन्टाइनर टर्मिनल प्रबन्धक तथा यातायात प्रबन्धक को देना है । सूची में पूरा विवरण यानी पूरा/तकनीकी नाम, मात्रा, पैकिंग की विधा, आई एम ओ कोडिकरण, जानकारी है तो अन्य विवरण आदि । इस सूची में शामिल हुए भर्दों की संख्या आगे पत्राचार की सुविधा के लिए रखा गया है । ज्वलनशील द्रवकर्गों की परमिट के लिए आवेदन, पेट्रोलियम सहित पेट्रोलियम अधिनियम में प्रतिपादित किया है जिसमें निम्न सूचना निहित है ।

ऐसे द्रवकर्गों ज्वलनांक तथा ये पानी के साथ घिला जाएगा या नहीं ।

इन दस्तावेजों के अलावा जहाज के कार्गो बाल सूची के एक प्रतिलिपि उग संरक्षक को तथा

कन्टाइनर टर्मिनल प्रबन्धक को परिवहन कार्गो कितने खतरनाक माल को बहन करता है, इसके संबंध में सूचना इकड़ा करने के लिए सहायता होगा।

(ii) नियाति : कन्टाइनर द्वारा खतरनाक नियाति वस्तुओं के उद्देश्य के बारे में पोर्ट प्राधिकारियों को 48 घण्टे सुपुर्दगी के पहले दिया जाना है तथा स्टफ करनेवाले खतरनाक कन्टाइनरों के पोर्ट में आने के पहले उप संरक्षक से अनुमति प्राप्त करना है।

(iii) परिवहन: भारतीय पोर्टों में खतरनाक वस्तुओं के उतारने तथा चढ़ाने के संबंध में नियंत्रण तथा सीमाएं हैं वही परिवहन कार्गों के संबंध में भी सामूह है।

8. लंगर डालना

निश्चित बर्थ पर पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद भी खतरनाक कार्गों जहाज को लंगर डाला जा सकता है।

9. पोर्ट प्राधिकारी खतरनाक /जोखिम वस्तुएं निम्न प्रकार सुरक्षित रखा सकता है :

(क) विशेष स्थल में अलग कन्टाइनरों में खतरनाक वस्तुओं को रखने के उद्देश्य में नियंत्रित कन्टाइनरों में अभिशमन तैयारियों सहित सुरक्षित रखा जाना है।

(ख) पार्किंग यार्ड में आई एम डी जी कोड सहित उचित अलगाव के साथ कन्टाइनरों को सुरक्षित रखा जाए। (पृथक्करण सारिका परिशिष्ट 'क' में दिया है - जो आई एम डी जी या आई एम सी ओ कोड के पृथक्करण रीति के अनुसार है परिशिष्ट 'ख' में टाइयर भाउन्टडम ब्रेन सहित कन्टाइनर पार्किंग यार्ड है)।

पोर्ट अधिकारी उचित पृथक्करण योजना जो कार्गों के बगीकरण तथा टर्मिनल में संभालन संबंधी है, को तैयार कर रखना है।

10. कन्टाइनर के स्टर्फिंग तथा डौस्टर्फिंग

(i) पोर्ट प्राधिकारी कन्टाइनर डिपोर्ट कन्टाइनर भाड़ा स्टेशन को खतरनाक वस्तुओं के संभालन के बारे में रुपरेखा दिया जाना है। कन्टाइनर्स के संभरण में उपर्युक्त ऐसा 9 के अनुसार होगा। उप संरक्षक से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग प्रचालन किया जाता है। स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग प्रचालन के लिए आई एम ओ का अनुकरण करता है। भाड़ा कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं के पैकिंग के लिए सहायता आई एम ही जी कोड (परिशिष्ट - 'ग') की धरा 12 और 13 में होगा।

स्टर्फिंग तथा डिस्टर्फिंग स्टाक यार्ड के मानिय में 30 मीटर के अन्दर में है तो उस पर छान देना है।

(ii) स्टर्फिंग के पहले : (क) खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत शब्दा से करना चाहिए जो कि परिवहन के समय माल को कोई क्षति न पहुँचा जाए। माल के गुणों से संबंधित ध्यान दखाजा खोलने के पहले ही मन में होना चाहिए। उदाहरण के लिए कन्टाइनर के साथानों के अनुसार रिसाव के कारण विवैला, उबलनशील या विस्पोटक आदि के लिए असुरक्षित सान्द्रता या समृद्ध ऑक्सिजन का वातावरण पैदा होने की संभावना है। अगर कोई क्षति पहुँचने की सूचना है या ऐसी स्थिति आई है, कन्टेनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ की सलाह खोजना चाहिए।

(ख) कन्टाइनर में खतरनाक माल, विशेषतया विवैला सामान है तो डिस्टर्फिंग शुरू होने के पहले कन्टाइनर बायुसंचार किया जाएगा। अर्थात् पर्याप्त अवधि के लिए दरवाजा खुला जाएगा।

(ग) खतरनाक माल का डीस्टर्फ करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कोई भी खतरा अवशेष न रहे। इसके लिए विशेष सफाई की आवश्यकता है, विशेषतया अगर विवैला है तो स्लिपेज उत्पन्न होने का संदेह है। जब यह संतोषजनक होता है कि कन्टाइनर में कोई भी खतरा नहीं है, तब खतरनाक सामान का लेबल दूर किया जाएगा।

- घ) काम चलते बहु धूप्रयान निश्चिन्द्र होगा ।
- ड) उचित जीवन सुरक्षा उपाय लिए जाएंगे ।
- च) पाकेज की जांच की जाएगी, तथा कन्टाइनर में टूट-फूट, चूकर निकली या चोकरयुक्त पाकेज देख पायें तो उसे स्टफ नहीं किया जाएगा । दागयुक्त पाकेज कन्टाइनर में पहले पैक नहीं करते हैं। यह तो सुरक्षित एवं स्वीकार योग्य मालूम होने के बाद ही उसका पैकिंग होता है । जल या अन्य नीजों सहित पैकेज को कन्टाइनर में पैकिंग करने के पहले अलग करते हैं ।
- छ) कार्गो यदि पालटाइज़ेड या इस्टेमाल किया है तो उनको सुसंबद्ध तथा सुरक्षित रखना है कि अन्य पाकेजरा में कोई क्षति न पहुँचा जाए । सामान को एकत्र करने के लिए इस्टेमाल किए बोन्ड को यूनिटाइसड वस्तुओं के साथ सुसंबद्ध करना है तथा वायु के साथ संपर्क होने से उसकी शक्ति को प्राप्त करने योग्य यानी ताप, सूरज के ऊर्जा आदि से सामाना करने की शक्ति हो ।
- ज) किसी भी उपकरण या मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिक शक्ति का उपयोग करें जहाँ कन्टाइनर सुरक्षित स्टर्फिंग तथा डीस्टर्फिंग किया जाता है, मशीनरी के इलेक्ट्रिक सिस्टम से कोई खतरा न पहुँचा जाए ।
- इ) नौवलन के पहले कन्टाइनर जिसमें खतरनाक कार्गो ताप नियंत्रण में रखा है उसका परीक्षण करना है तथा प्रचालन के पहले मशीनरी उचित परिस्थिति में है इसको जांच करना है । निरीक्षण का एक रिपोर्ट सुरक्षित रखना चाहिए ।
- iii) स्टर्फिंग तथा सेकुरिंग :
- संभालते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि पाकेजरा तथा रिस्ट्रिक्लिस में कोई क्षति नहीं है । क) संभालते समय कार्गो के पाकेज में कोई क्षति पहुँचा जाए तथा उससे वस्तुएं बाहर निकल जाए, उस केज को शून्य करना है तब तक कि संभावित खतरनाक को समझा जाए । (ख) पोर्ट के परिसर पर पुः पैकिंग यह करना चाहिए । खतरनाक कार्गो से कोई लीक पहुँचा जाए तथा जिसे ग्रिस्फोटक, ज्वलन, विवेली या उसी तरह के खतरनाक पहुँचा जाए तो व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर बदल दिया जाए तथा संबंधित संगठन (अधिशेषन केन्ट्र, चिकित्सा केन्द्र), प्रदूषण नियंत्रण संगठन आदि को आवश्यकतानुसार सूचना दिया जाए ।
- (ग) प्रतिकूल वस्तुओं के साथ कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं को स्टफ नहीं किया जाता । आई एम ही जी कोड में इसके सामान्य तथा विशेष प्रकृति के संबंध में निर्देश दिया गया है ।
- टिप्पणी : कुछ मालों में एक ही श्रेणी के सभी वस्तुओं को प्रतिकूल भाव के कारण एक ही कन्टाइनर में स्टफ नहीं किया जाता । उदाहरण के रूप में पेरोक्साइड तथा पेरमांगनेट, ये दोनों ओक्सिडाइसिंग एजन्ट हैं (श्रेणी 5.1) जो भी हो खतरनाक अवस्था में इन दोनों में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ।
- (घ) खतरनाक वस्तु खरादी से क्षति पहुँचा जाए या गंध या अन्य उभादर्नों के सम्प्रभुण से वही कन्टाइनर में स्टफ नहीं किया जा सकता जिससे कि ये वस्तुएं क्षति पहुँचाने योग्य हो ।
- ड) खतरनाक कार्गो विशेषतः श्रेणी- 6.1(विवेली) तथा श्रेणी 8 (क्षयकरी) को संभालते समय सभी तरह के आहार तथा पेय को निश्चिन्द्र किया गया है ।
- च) व्यक्तिगत पैकेज के संबंध में विशद रूप में विशेष अनुदेश पर ध्यान देना ज़रूरी है । उदाहरण 'प्रोटक्ट फ्रम प्रोस्ट' से लेबल किए गालों को कन्टाइनर के दीवार से दूर रखना है ।
- माल 'दिस बे अप' लेबल किए गालों को तदनुसार पैक किया जाना है । जब खतरनाक वस्तुएं कन्टाइनर के एक भाग में रखा जाए तो उसे ऐसा स्टफ करना है कि बाहर से ही उसको देख सकें ।
- अंकन तथा लेबलिंग
- i) कन्टाइनरों को प्रेषण के पहले मुद्रण किया जाना है । विशेष प्रचालक की अनुगति के बिना उन्हें ताला नहीं ढाला जा सकता । इस प्रकार की अवस्था में एक ताला ज़रूर सुरक्षित करना चाहिए ।
- ii) कन्टाइनर जिसमें खतरनाक वस्तुएं स्टफ किया है उसमें खतरनाक आई एम औ कोड बलास लेबल्स

(प्लाकार्ड्स) रखा गया है जिसका आकार 250 एम.एम. X 250 एम.एम. । आई एम ओ कोड की आवश्यकता जहाँ नहीं है, वहाँ 4 लेबल्स(प्लाकार्ड्स) स्पष्ट स्थल में दोनों पाश्वर्व में एक तथा अन्त में एक । कन्टाइनर के पाश्वर्व के लेबल्स इस प्रकार रखना चाहिए कन्टाइनर के दरवाजा खोलते समय देख न पाते ।

- iii) कन्टाइनर में खतरनाक वस्तुओं के तकनीकी नाम भी होना अनिवार्य है ।
- iv) ऐल तथा परिवहन प्राधिकारियों के लिए आवश्यकतानुसार लेबल्स भी दिया जाना है ।


12. स्टर्फिंग प्रमाण पत्र

कन्टाइनर में खतरनाक कागों के स्टर्फिंग के लिए उत्तरदायी को 'कन्टाइनर स्टर्फिंग प्रमाण पत्र' जिसमें प्रमाणित किया जाना कि निम्न प्रावधान के साथ यह चलता है ।

- i) कन्टाइनर साफ, सूखा तथा साथान को बहन करने योग्य है ।
- ii) कन्टाइनर में प्रतिकूल वस्तुओं को स्टफ नहीं किया जाता ।
- iii) सभी पाकेजेस को बाह्य रूप में परीक्षण करना है कि कोई क्षति है या सूखा तथा साउण्ड पाकेजेस को ही पैक करना है ।
- iv) कन्टाइनर में सब पाकेज अच्छी तरह स्टफ करना है तथा सुरक्षित भी रखा जाना चाहिए ।
- v) कन्टाइनरों तथा पाकेजों को अच्छी तरह अंकित करना लेबल किया जाना है ।
- vi) कन्टाइनर की खतरनाक वस्तुओं को नौकरहन के लिए विशेष स्वीकृति प्राप्त किया जाना है ।
- vii) खतरनाक वस्तुओं के प्रेषक को हर एक शायलों में एक खतरनाक कागों घोषणा दिया जाना है कि समुद्री यात्रा के ये कागों उचित रूप में पैक किया है ।
- viii) कन्टाइनर के साथ कन्टाइनर स्टर्फिंग प्रमाण पत्र भी भेजा जाना चाहिए ।
- ix) कागों के स्टर्फिंग के लिए उप संरक्षक की अनुमति प्राप्त किया गया है ।

13. स्टर्फिंग/डीस्टर्फिंग के लिए खतरनाक /जोखिम मालवाले कन्टाइनरों की स्वीकृति पर सामान्य फरारी

खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत श्रद्धा से ही करना चाहिए कि जो कि परिवहन के समय माल को कोई क्षति न पहुँचा जाए । दरवाजा खोलने के पहले ही माल के गुणों से संबंधित ध्यान रखना चाहिए । उदाहरण के लिए कन्टाइनर के सामानों के अनुसार रिसाव के कारण विवेला, ज्वलनशील या बिस्फोटक आदि के लिए असुरक्षित सान्दरता या संगृदध आविस्जन का बाताबरण गैदा होने की संभावना है । आगर कोई क्षति पहुँचने की सूचना है तो या ऐसे स्थिति आयी है कन्टाइनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ का सलाह लेनी चाहिए ।



- i) कन्टाइनर में खतरनाक माल, विशेषतया विवैला सामान को डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले कन्टाइनर बायु संचार किया जाएगा अर्थात् पर्याप्त अवधि के लिए दरबाजा खुला जाएगा ।
- ii) खतरनाक माल का कन्टाइनर डीस्टर्फ करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कोई भी खतरा अवशेष न रहे । इसके लिए विशेष सफाई की आवश्यकता है, विशेषतया अगर विवैला है तो स्लिपेज उत्पन्न होने का सदैह है । जब यह संतोषजनक होता है कि कन्टाइनर में कोई भी खतरा नहीं है, तब खतरनाक सामान का लेबल दूर किया जाएगा ।
- iii) अगर कोई कन्टाइनर में ताप की सूचना मिलती है तो यह एक सुरक्षित स्थान में रखकर अभिशमन विभाग को तुरन्त ही सूचना दी जाएगी । इस पर श्रद्धा रखना चाहिए कि प्रश्न में पढ़े माल के लिए उपयोग किए जानेवाले अभिशमन रीति उचित है या नहीं ।
- iv) इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि खाली करने के बाद सभी तरह के मालों के परिवहन के लिए साफ एवं उचित कन्टाइनर बाप्स देने को परेविति नियमित रूप से उत्तरदायी है । खतरनाक, विवैला या अग्रिय माल के परिवहन के लिए ही यह विशेष रूप से लागू है ।

14. खतरनाक या जोखिम घोषित घासों का डीस्टर्फिंग

- i) पोर्ट में कन्टाइनर पहुँचने के पहले ही प्रचालक द्वारा उक्त पोर्ट अधिकारी को खतरनाक माल के आयात की अधिसूचना देना है ।
- ii) प्रचालक या कन्टाइनर खाली करने के पहले दस्तावेज तैयार करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा आयात माल दस्तावेज के साथ एक खतरनाक सामानों का स्टाप्ट भी पृष्ठांकित करना चाहिए ।
- iii) खतरनाक माल के कन्टाइनरों का डीस्टर्फिंग बहुत श्रद्धा से ही करना चाहिए । जो कि परिवहन के समय माल को कोई शर्ति न पहुँचा जाए । माल के गुणों से संबंधित ध्यान दरबाजा खोलने के पहले ही मन में होना चाहिए । अगर कोई शर्ति पहुँचने की सूचना है तो कन्टाइनर के डीस्टर्फिंग शुरू होने के पहले ही विशेषज्ञ का सलाह लेना चाहिए ।
- iv) माल के डीस्टर्फिंग एवं पैकिंग के बाद इसकी श्रेणी के अनुसार अलग करके उचित भंडारण क्षेत्र में रखना चाहिए । अंकन, लेबल या पैकिंग की रीति में कोई भिन्नता है तो निरीक्षक को रिपोर्ट करना चाहिए और प्रचालन कंपनी को यथाशीघ्र सलाह दिया जाएगा ।
- v) कई श्रेणियों के भंडारण क्षेत्र शुद्ध रूप से दिखाया जाएगा और पैकिंग उचित है तो एक बाहरी स्टोवेज भी होगा । हमेशा परिवहन शेहर में खतरनाक सामान सामान्य माल से दूर रखा जाएगा ।
- vi) आयात खतरनाक माल का निष्कासन शीघ्र ही किया जाएगा ।
- vii) कन्टाइनर गैर-जोखिम घोषित कर सकता तो सभी खतरनाक माल लेबल दूर किए जाएंगे ।

15. एक निर्धारित क्षेत्र में खतरनाक माल की कुल मात्रा पांच कॉटाइनर भार से अधिक न होगा ।
16. **अग्रिशमन :**
- i) खतरनाक/जोखिम माल के कॉटाइनर रखने के निर्धारित क्षेत्रों में विशेष अग्रिशमन व्यवस्थाएँ बनायी जाएंगी । इसमें :-
- (क) उचित रूप से सुरक्षित एवं पूर्ण प्रचालन व्यवस्था में राह्योदय या स्थानीय विनियमों के लिए ज़रूरी सभी अग्रिशमन उपकरणों की व्यवस्था ।
 - (ख) आपात कार्यों की उचित सूचना की व्यवस्था और ऐसे कार्यों का नियमित प्रयोग ।
 - (ग) कॉटाइनर तल एवं स्थानीय अग्रिशमन वाहिनी के बीच अच्छा संपर्क । अग्रिशमन विभाग की सेवा मिलने के लिए हमेशा पर्याप्त प्रबन्ध ।
 - (घ) अच्छे परिचरण एवं सफाई । उदाहरणार्थ तेल का पैनन्ट एवं कुनाई मिलाने से ज्वलन का स्रोत मिलता है । रही माल का द्वेर ज्वलित होता है । निभर का पाइलस अग्रि फैलाने में सहायक है ।
 - (ङ) घूमपान, असुरक्षित या बुरी तरह रखे गए बिजली इन्स्टलेशन या घरमत उपकरण जैसे ज्वलन के स्रोत न्यूनतम बनाने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा ।
 - (च) मशीनें और उसके प्रचालन में उचित श्रद्धा होना चाहिए विशेषतया इंधन लगाने के समय ।
 - (छ) ऊपरी प्रदेश में अग्रिशमन उपकरणों के लिए प्रवेश रखा जाएगा और हमेशा बाहर से आपात बाहरों को आने के लिए एक रास्ता सुरक्षित रखेगा ।
- ii) **विशेष उपकरण**
- (क) पर्याप्त एवं उचित इक्सल उपकरण उपलब्ध किया जाएगा और तुरंत सहायता मिलने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों को कार्मिक रूप से हानिकार धुआ द्वारा प्रभावित किया जाए ।
 - (ख) सुरक्षित आवरण जैसे रबड बूट्स एवं ग्लोव तथा एंग्रेन एवं ऑयलस्किन सहित विखंडित साधनों के उपयोग के लिए पर्याप्त किए जाएंगे ।
 - (ग) विखंडित द्रव का फैलाव न्यूनतम बनाने के लिए जड़ सामानों का पात्र पर्याप्त किया जाएगा ।
 - (घ) अगर कोई प्रश्न उठता है तो आपात विभाग की सेवा मांगने की आवश्यकता है ।
- iii) **प्रदीपन :**
- (क) जिथर या जब भी हो खतरनाक सामानों का संचालन करते समय या खतरनाक सामानों के समान अन्य सामानों का संचालन करते समय पर्याप्त एवं ज्वालासह प्रकाश उपलब्ध किया जाएगा ।
 - (ख) यह ध्यान दिया जाएगा कि कृत्रिम प्रकाशन में लेबलों का रंग बदल जाए ।

17. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोत्तम व्यवस्थाओं या आदेशों का उल्लंघन करता है तो 10,000 रु. तक का रकम देने का दंड दिया जाएगा और यदि उल्लंघन या प्राजय कई बार होता है तो अप्राध के लिए प्रतिदिन 1000 रु. के रूप में देना पड़ेगा। तर एक घामले पर रकम की मात्रा के बारे में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

विवोजन सारणी

परिशिष्ट (क)

	1.4	3.1	1.5	2.1	2.2	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	7	8
विस्फोटक	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	X	2
ज्वलनशील गैस	2	X		2	2	X	1	X	X	2	X	1	X		1
गैस ज्वलनशील गैस	1	X													
ज्वलनशील द्रव	2	2	2					2	2	2	2	3	X	2	1
गैर ज्वलनशील द्रव	2	2	2					1	2	2	1	3	X	2	1
ज्वलनशील धन	3.2														
स्वतः ज्वलनशील समान	3.3														
गौले होने पर स्फुरनाक समान	4.1	2	1	X	2	1		1	1	1	1	2	X	2	1
आविस्फुर्तिसंग समान	4.2	2	2	1	2	2	1		1	2	2	X	2	1	
ओरगानिक ऐमोबाइड	4.3	2	1	X	2	2	1	1		2	2	X	2	1	
विष	5.1	2	2	X	2	1	1	1	2	2		2	1	1	2
रेडियो आवटीब समान	5.2	2	4	2	3	3	2	2	2	2		1	2	2	
संक्षारक	6.1	X	X	X	X	X	X	X	1	1		X	X		
विविध स्फुरनाक समान	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	X		2	
	8	2	1	X	1	1	1	1	1	2	2	X	2		
	9														

सारणी की संख्या अगले पृष्ठ में निर्धारित की गई है

(कृ.पृ.उ.)

रूप पृष्ठ के सारणी की संज्ञा को निम्न प्रकार बताया गया है :

आई एम डी जी कोड परिभाषा

कन्ट्राइना बेस वियोजन

1. दू पर
 2. अलग से
 3. एवं विभाग द्वारा अलग किया गया
 4. लंबाई से विभाग को अलग किया है
- X

सामान्य वियोजन को तिकारिया नहीं किया है

- : परस्पर सर्वोक्तुंश द्वारा
- : 3 मीटर (10 फाट्स) दू से, नहीं तो अधि प्रतिरोधक दीवार से
- : 3 मीटर (10 फाट्स) दू से, नहीं तो अधि प्रतिरोधक दीवार से लंबाई से विभाग को अलग किया है
- : कन्ट्राइना बेस के विभिन्न अनुभागों को रोड या फायर ब्लॉक से या 25 मीटर से अलग किया है (80 फाट्स अलग से)

1. निम्न वार्गिकीन के अनुसार इमारत के बाहर वथा अंदर के बीच भंडार स्थल का चयन करना चाहिए ।
- 1.1. समृद्धि विभाग के अनुसार भंडारण का स्थल बहाज के हेक पर इमारत के अंदर होना है नहीं तो समी उद्देश्य के लिए निर्मित हो ।

1-2 सारणी :

आई एम सी ओ क्लास	विवरण	भंडार
1.4	सुरक्षित युद्धोपकरण	अन्दर-ताला बंधित
1.5	बहुत खर पदार्थ	अन्दर-ताला बंधित
1	सुरक्षा के अलावा युद्धोपकरण एवं क्लास 1.5	विशेष तैयारी के बिना संभारित नहीं किया जा सकता।
2	दबित गैस - प्लावनशील - विवैली - जड़ - छोटे सिलिंडर (उदा: लाइटर फ्युल)	बाहर बाहर दोनों में से एक अन्दर
3	ज्वलनशील ग्रावक	
3.1	निम्न एफ.पी. 10° सेन्टीग्रेड (0° एफ)	बाहर
3.2	अध्य एफ.पी. 18° से 23° सेन्टीग्रेड तक (0° -- 73° एफ)	बाहर थोड़ी मात्रा में अन्दर
3.3	उच्च एफ.पी. 23° सेन्टीग्रेड- 61° सेन्टीग्रेड (73° - 141° एफ)	दोनों में से एक
4.1	ज्वलनशील खर पदार्थ	दोनों में से एक
4.2	तुरंत ज्वलन	बाहर(सूखा रखा जाए)
4.3	पम्पी के साथ संपर्क से ज्वलनशील वस्तुओं को निकलना	बाहर(सूखा रखा जाए)
5.1	आक्सिडाइसिंग वस्तुएं	बाहर नड़ी मात्रा में , थोड़ी मात्रा में (2 टन से कम दो नर्म में से एक)
5.2	ओरगानिक मोर्कसाइड	बाहर (शीत रूप में सुरक्षित रखना है)
6.1	विवैली (वैधिक)	दोनों में से एक (अन्य खतरनाक पदार्थों को देखें तथा तदनुसार भंडार करें ।
6.2	संक्रामक	विशेष तैयारी से ही स्वीकृत किया जाए
7	रेडियो आक्टीव	परिवहन क्लास एवं प्रई एसिफारिश के अनुसार
8	क्षयकारी	दोनों में से एक (क्षयकारी की लिंगी तथा खतरनाक को मानकर)
9	विविध (आवश्यक निम्न जोखिय पदार्थ न मानते हुए)	विशेष खतरनाक तथा कम मात्रा के अनुसार

ੴ ਪ੍ਰਾਤਿਸ਼ਥ

आई एम सी ओ वियोजन

5

卷之三

1	

26

3

2 अग्री
2 अग्री

100

संगीत

सभी खतरनाक कन्ट्राइवरी को हो सके तो टायर 1 में रखा है, फायर फाइंग उद्देश्य के लिए टायर 2 का भी उपयोग किया जा सकता है । सामान्य कन्ट्राइवरी को खतरनाक स्मोट का उपयोग किया जा सकता है कि फायर फाइंग उद्देश्य के लिए टायर 2 का भी उपयोग किया जा सकता है । सामान्य कन्ट्राइवरी को खतरनाक कन्ट्राइवरी को गोक सकते हैं कि सभी खतरनाक कन्ट्राइवरी को बाहर की ओर एक दरवाजा होता है । कन्ट्राइवरी गहरे के संबंध में पोर्ट फायर तथा पोर्ट सुरक्षा अधिकारियों को फायर योद्धना तथा वियोजन योद्धना है तथा उसके ड्राइवर स्प्रिंग्सी भी बताता है । इन अधिकारियों को खतरनाक कन्ट्राइवरी तथा फायरी के संबंध में जानकारी है । यदि इन अधिकारियों को स्टॉन कोह (लकड़ी) में ' ई ' ब्राउं विसमें कार्गो मूल्यना होती है तो मुश्किल होती है । आहे मैं दुर्घटना में इस्तेमाल करते उत्करणों के दाश्त कराते में भी बताता गया है ।

परिशिष्ट - ग

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान संहिता की धारा 12 की प्रतिलिपि एवं धारा 13 का सार

धारा 12. कल्टाइनर यातायात

- 12. 1.1 खतरनाक सामानों के पैकेज से भरे गए कल्टाइनरों के लिए ही इस पुस्तक की सिफारिशों लागू है ।
- 12. 1.2 कल्टाइनर यातायात में एक बड़े बाक्स, जिसमें दरवाजा, लिफ्टिंग पोइन्ट आदि में कई संचया के स्रोते पैकेज परिवहन के लिए संलग्न किए गए हैं । द्रुट के अनुसार कल्टाइनर का आकार एवं निपाण में अन्तर होगा । कई कल्टाइनर एवं रेल बाहनों के हीमाउन्डबिल भाग है ।
- 12. 1.3 खतरनाक सामानों के बहन के लिए उपयोग किए जानेवाले कल्टाइनरों को उसमें कार्यरत व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न परिहार्य दबाव का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए ।
- 12. 1.4 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विशेष तौर पर अनुमोदित कल्टाइनरों में ही बलकों में सूखी खतरनाक सामानों का बहन किया जाए ।

12. 2 अनुमोदित नौभार

- 12. 2.1 धारा 12. 1.4 में उपलब्ध की अलावा इस संहिता में दी गई सिफारिशों के अनुसार पैक किए गए खतरनाक सामान के बल कल्टाइनरों में ही परिवहन किया जाए ।
- 12. 2.2 समुद्र में यात्री जलयानों में खतरनाक सामानों से भरे गए कल्टाइनरों का परिवहन इस संहिता द्वारा अनुमति के बिना न किया जाए ।
- 12. 2.3 एक खतरनाक सामान अन्य कोई जोखिय सामान के साथ स्टोक नहीं किया जाएगा । यह उस सामान के वियोजन 'बाहर से' अधिक कठोर नहीं (धारा 15.8 के अनुसार) होने पर ही लागू है और परिवहन के दौरान ऐसा वियोजन कल्टाइनर के अन्दर में ही सतर्क किया जाएगा ।

12. 3 कल्टाइनर प्रणाली पद्धति

- 12. 3.1 पैक किए गए खतरनाक सामानों के दस्तावेज के संबंध में इस संहिता की सामान्य पृष्ठभूमि की धारा 9 में दी गई अनिवार्यताओं गर ध्यान देना चाहिए ।
- 12. 3.2 शति, लीकेज या वस्तुओं की सिपिंग आदि के लिए बाह्य रूप से खतरनाक सामान भरे गए कल्टाइनरों की परीक्षा करना चाहिए । किसी भी कल्टाइनर में लीकिंग या सिपिंग दिखाई पड़ता है तो मरम्मत करने के बिना या शति लुप्त पात्रों को दूर करने के बिना नौभरण के लिए स्वीकर नहीं किया जाएगा ।

० 12. ४ पार्किंग एवं लेबलिंग

12. 4.1 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों में इस संहिता के हर एक श्रेणी के लिए नियमित लेबल बाहर में एक व्यानाकर्षी जगह में होना चाहिए ।
12. 4.2 विशेष खतरनाक सामानों की सूची या ज्ञापन (कन्वेन्शन के अध्याय 7 की विनियम 5 (ग) द्वारा अनिवार्य) खतरनाक सामानों के कन्टाइनरों की सूची एवं जहाज में उसका स्थान आदि होना चाहिए । सूची या ज्ञापन में उपर्युक्त विनियम के अन्तर्गत विवरण के अलावा लै एक खतरनाक सामान की कुल नैसर्गिक गुण दिखाए जाए ।
12. 4.3 कन्टाइनर में भरे गए लै एक पैकेज में लेबलिंग होने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आपात में शीघ्र ही पहचानने के लिए खतरनाक सामानों के पैकेज में ऐसा लेबल का उपयोग के लिए सिफारिश दी गई है ।

12. 5 कन्टाइनरों का स्टोरेज

12. 5.1 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों का ऐसे सामानों के लिए इस संहिता में दी गई स्टोरेज अनिवार्यताओं के आधार पर बहु एवं पृथक्करण किया जाए । उदाहरणः- डेक पर स्टोरिंग किए जानेवाले खतरनाक सामान एक कन्टाइनर में बहन किया है तो डेक पर कन्टाइनर का भी स्टोरेज किया जाना चाहिए ।
12. 5.2 खतरनाक सामानों से भरे गए कन्टाइनरों का वियोजन इस संहिता के अनुसार किया जाएगा । जहाज के नियमित संबंधी कारणों से जहाँ ऐसा वियोजन संगत नहीं है वहाँ (उदाः- जहाँ कन्टाइनर डेक में बल्कि हेड नहीं है) सुरक्षा के बारे में सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट है तो इसके लिए वियोजन प्रबन्ध किए जायेंगे ।
12. 5.3 खतरनाक सामानों के पैकेज एवं कन्टाइनर के अन्य कोई सामान समुद्र यात्रा के लिए पर्याप्त रूप से बांध एवं सुरक्षित किया जाएगा । परिवहन के समय फिटिंग्स के लिए कोई शक्ति न पहुंचाने के लिए पैकेज के लोडिंग में ध्यान देना चाहिए । पैकेज के ऐसा फिटिंग पर्याप्त रूप से सुरक्षित करना चाहिए ।
12. 5.4 शीतप्रशीतक एवं ताप उपकरणों से सुसज्जित कन्टाइनर जो विषेला एवं/या जवलनशील स्वभाव का है, डेक पर स्टोरिंग करना चाहिए । पर्याप्त बायुसंचारण एवं अन्य सुरक्षा सतर्कताएं सक्षम प्राधिकारी को संतोषजनक हैं तो उसका स्टोरिंग एवं प्रचालन डेक के अधीन किया जाएगा ।

आरा 13 सुवाहा टैक

13. 1 व्यावहारिकता एवं परिभाषा एवं
13. 1.1 व्यावहारिकता
13. 1.1.1 खतरनाक त्रय के बहन के उद्देश्य से दबाव शमन उपाय फिट किए गए सुवाहा टैकों के लिए ही

- उस धारा की सिफारिशें लागू हैं (13.1.2.1 के अनुसार) ।
13. 1.1.2 कोई अग्निशमन और सुरक्षा सुवाहा टैंकों का बहन करने वाले जहाजों पर अनिवार्य अन्य कोई उपकरण के संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं भिलायी गयी है जो ध्यान देने योग्य है ।
13. 1.1.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित किए जानेवाले विशेष लालस्थाओं के अन्तर्गत खतरनाक द्रव के बहन के लिए इस धारा में टिए गए के अलावा अन्य सुवाहा टैंक भिलाए जाएंगे ।
13. 1.1.4 विशेष पदार्थ के लिए खास जोड़ियम है तो अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति होनी है ।
13. 1.2 इस अनुभाग के उद्देश्य के लिए एक चलती टैंक मतलब एक टैंक जिसकी धारिता 450 लिटर्स (100 गालन) या परिवहन भारी द्रावक जिसमें बाष्प दबाव के 3के.पी. / से.मी. 2 अब्सोल्यूट (43 पी एस आई जी) 50° सेन्टी ग्रेड (122° एफ) की आवश्यकता है । टैंक बोर्ड पर होते समय उसकी वस्तुएं सुरक्षित नहीं होते तथा उसकी वस्तुएं उतार या चढ़ा भी नहीं सकते । भारित टैंक को जहाज को बहन करने की क्षमता होनी चाहिए ।
13. 1.2.2 प्रचालन की स्थिति में टैंक के ऊपर की न्यूनतम गेज दबाव ही दी गई न्यूनतम संचालन दबाव है । दबाव की गणना हर एक वस्तु की स्थनता तथा :
- (क) क्षयकारी के लिए भत्ता एवं
 - (ख) उतारने के दबाव से परे आवश्यक स्थनता
13. 1.2.3 स्टाटिक दबाव की गणना दबाव की शुरू होने से प्रारंभ होती है तथा जहाँ तक की बुद्बुदी नहीं होती है तथा दबाव का परीक्षण पानी के बलिनाली में मुहर लगा करके नियन्त्रित की जाती है ।
13. 1.2.4 संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा द्रावक के उपरितल पर ली गई तापमान के भाप दबाव के. पी. / से.मी. 2 (पी एस आई जी) तथा कम स्थल पर बायु तथा अन्य गैसों की उपस्थिति में तुर्क आंशिक दबाव से तुर्क कुल दबाव, तापमान से तुर्क द्रावक, द्रावक में बायु तथा अन्य गैसों की विलेयता और 0.35 के.पी. / से.मी. 2 (5 पी एस आई जी) डाइनामिक दबाव इन सबके कुल भाप दबाव को कन्टाइगेन्ट दबाव माना जाता है । किसी भी गासले में कुल कन्टाइगेन्ट दबाव 1.75 के.पी. / से.मी. 2 (25 पी एस आई जी) से कम नहीं होगा जहाँ वर्तमान विलेयता के लिए स्वीकार्य ढाटा नहीं है, उनको अस्वीकार्य करना है ।
13. 11 सुवाहा टैंक के परीक्षण तथा नियन्त्रित करना :
13. 11.1 सक्षम अधिकारी को आवश्यक परीक्षण तथा नियन्त्रण निर्माण के समय करना है ।
13. 11.2 टैंक वस्तुओं के दबाव के लिए कागज सभी सुवाहा टैंक, तथा सभी पैरिंग, नाल्न और अन्य उपकरणों, दबाव शमन घागों को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण करना चाहिए (होमस सहित)

अगर है तो) तथा पानी एवं अन्य द्रावक जिनके घनत्व एक सी है । १^{1/4} बार न्यूनतम दबाव का उपयोग करते हैं । परीक्षा संक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रकार होनी चाहिए । दबाव होते समय, टैंक में कोई टूट, किसी भी भाग का नष्ट, गड्ढा, या किसी भी कारण से टैंक परिवहन के लिए अनुयोज्य नहीं है, तो जो कमी है उसको निकालने के बाद ही सर्वांग किया जा सकता ।

- 13.11.3 नौवहन के लिए स्वीकृत टैंक को संक्षम अधिकारी द्वारा छः पहले ही निरीक्षण करना चाहिए । बाहरिक तथा आन्तरिक रूप का निरीक्षण होना चाहिए । प्रचालन में किसी कमी होनेवाले मामलों में संक्षम अधिकारी परीक्षण करना अनिवार्य है ।
 - 13.11.4 टैंक तथा उनके फिरिंग्स को आन्तरिक तथा बाहरिक रूप से निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन किसी भी मामलों में 2 1/2 वर्ष से ज्यादा समय से ऊपर न हो ।
 - 13.11.5 सभी दबाव रिलीफ बल्च को पुनः परीक्षण 2 1/2 वर्ष में करना चाहिए । संक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए शर्तों के अनुसार होना चाहिए ।

 - 13.12 बहन करने टैंक में अंकन करना
 - 13.12.1 धातु पहचान लिह । हर एक बहन करने टैंक में जंग से बचाने के लिए धातु का कोर्टिंग करना चाहिए । एलेट में गुहर या अन्य अंकों द्वारा या निश्च प्रकार सूखना देना चाहिए । एलेट में ऐविन्टिंग भी नहीं करना चाहिए ताकि अंकन साफ रूप से देखा जाए ।
- निर्माता का नाम.....**
- निर्माण का दिनांक.....**
- टैंक क्रम संख्या.....**
- कार्य करने के लिए दिए गए न्यूनतम दबाव.....** के.पी/से.भी .(पी एस आई जी)
- परीक्षण दबाव.....** के.पी/से.भी .2(पी एस आई जी)
- कुल पानी की धारिता.....** लिटर्स(गलान्स)
- अधिकतम बहन करने द्वावक का भार.....** किलो (टन)
- अधिकतम कुल भार.....** किलो (टन)

सक्षम प्राधिकारी को नियंत्रण या पहचान परिषट
 हाइड्रालिक परीक्षण के द्विनांक
 हाइड्रालिक परीक्षण के प्राधिकृत साक्षी
 टैक डिजैन किए कोड, नियम या विनियग (नाम या अन्य पहचान से).....

13.12.2 परीक्षा तिथि एवं अंकन :

- 13.12.2.1 अंतिम हाइड्रालिक परीक्षा की तिथि एवं साक्षीकृत प्राधिकारी का अंक ऊपर निर्धारित मेटल आइडन्टिफिकेशन प्लेट में शुद्ध रूप से स्टांप किया जाए ।
 13.12.2.2 धारा 13.11.4 द्वारा निर्धारित अंतिम दृष्टि सम्बधी परीक्षा की तिथि सक्षम प्राधिकारी को सन्तोषजनक तोने की रीति से टैक पर दृश्य रूप से सूचित की जाए ।
 13.12.2.3 विशेष उद्देश्य टैकों में बहन करने के लिए अनुमोदित सामानों की सूचना दी जाए ।

13.13 सुवाहा टैकों का प्रमाणीकरण

- 13.13.1 सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्यताओं की सूचना देनेवाला एक प्रधान पत्र अनुमोदित निरीक्षण एजन्सी से प्राप्त कर फाइल किया जाए ।

13.14. सुवाहा टैकों के लिए सामान्य संचालन सतर्कताएं

- 13.14.1 इस धारा में दर्शायी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्माण एवं लीसाइन किये गये टैकों के लिए ही निम्नलिखित सिफारिशें एवं सतर्कताएं लागू हैं (उदा: टैक जिसमें दबाव शमन उपाय है)
 13.14.2 उक्त राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्रव माल ही सुवाहा टैकों में बहन किया जाएगा ।
 13.14.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि सामयानुसार खतरनाक सामान रखिता में हर एक राष्ट्रान के प्रवेश से यह सूचना दी जाएगी कि सामान सुवाहा टैक में बहन किया जाएगा या नहीं और किस तरह का टैक अनिवार्य है ।
 13.14.4 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खतरनाक सामान सहिता द्वारा सुवाहा टैकों में ऐसे सामानों का स्टोरेज के लिए हर एक अनिवार्यताएं भिलेगी और अनुमोदित पैरिंग एवं उनके स्टोरेज में कोई अन्तर है तो उसकी सूचना भी दी जाएगी ।
 13.14.5 सहिता के संशोधन पूरा करने के सभी तक सुवाहा टैकों का स्टोरेज 13.15 की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा ।

13.15. सुवाहा टैकों का स्टोरेज

- 13.15.1 स्टोरेज की स्थिति निम्न लिखित टेबिल के अनुसार होगी । इसे छोड़कर सुवाहा टैकों का

स्टोरेज धारा 14 की व्यवस्थाओं के अनुसार होगा ।

आई सी ओ क्लास	यात्री जहाज		माल जहाज	
	डेक पर	डेक के नीचे	डेक पर	डेक के नीचे
विस्फोटक	1	*	*	*
गैस	2	*	*	*
जबलनशील	3.1	निषिद्ध	निषिद्ध	अनुमोदित
द्रव	3.2	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	अनुमोदित
	3.3	अनुमोदित	निषिद्ध 1)	अनुमोदित
विस्फोटक				
खर	4.1	*	*	*
स्वतः				
दहनशील				
सामान	4.2	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध 1)
गीले होने पर				निषिद्ध
खतरनाक सामान	4.3	निषिद्ध	निषिद्ध	निषिद्ध 3)
आक्रिसिडाइसिंग				निषिद्ध 3)
सामान	5.1	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	अनुमोदित 3)
ओग्निक				अनुमोदित 3)
फोक्साइड	5.2	निषिद्ध 1)	निषिद्ध	निषिद्ध 3)
विवैला	6	निषिद्ध 1)	निषिद्ध 1)	निषिद्ध 3)
टेलियोआवटीव				अनुमोदित 3)
सामान	7	*	*	*
झारक	8	अनुमोदित	अनुमोदित	अनुमोदित
विविध				
खतरनाक सामान	9	अनुमोदित 3)अनुमोदित 3)	अनुमोदित	अनुमोदित 3)

* लागू नहीं ।

- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जानेवाले विशेष व्यवस्थाओं के अन्तर्गत को छोड़कर
 - अगर एक द्वितीय स्तर लेबल द्वारा दर्शाएँ गए विसैला या सामान गुण नहीं हैं तो
 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जानेवाले व्यवस्थाओं के अन्तर्गत
- 13.15.2 13.15.1 के सारणी द्रावक भरे सुवाह्य टैक के लिए लागू हैं । ठोस पदार्थ घरन करने टैक के लिए (छिप या गीले) गैस तथा लिकिफाइड गैस यह लागू नहीं हैं ।
- 13.15.3 सारणी के अनुसार नौभरण में कोई प्रतिरोध है तो पदार्थों के विशेष प्रवेश की अनुमति दिया जाता है ।

- 13.15.4 एक सुवाह्य टैंक जिसमें द्रावक है तथा विशेष प्रबेश से एक या अधिक लेबल दिखाता है उसके लिए ध्यान देना है तथा अनुसार नौभरण करना चाहिए ।
- 13.15.5 सुवाह्य टैंक में कोई छोप या क्षति है तो टैंक के संपूर्णता में बाधा पहुँचेगी ।
- 13.15.6 सुवाह्य टैंक जिसमें वस्तुओं के अवशेष पड़ा हुआ है तो उसको साफ करने के बाद ही नौभरण किया जा सकता है ।
- 13.15.7 सुवाह्य टैंक में अधिक नौभरण निशेग रूप से डिज़ाइन किए जहाज में ही किया जाय तथा सक्षम अधिकारी की सम्मति तथा धारा 13.9.1.2 पर ध्यान देकर ही किया जाए ।
- 13.15.8 सुवाह्य टैंक बुरी स्थिति में नौवहन के लिए स्वीकार नहीं करते । टैंक में लहरों के थपेट से हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न होगा ।
- 13.15.9 यास मुक्त खाली टैंक में वही स्थिति जो उसमें पहली चीज़ भरने की थी उसका अनुपालन करना चाहिए ।
- 13.16 सुवाह्य टैंक में वियोजन :**
- सुवाह्य टैंक जिसमें खतरनाक द्रावक है उनका वियोजन अन्तर्राष्ट्रीय मारीटाइम खतरनाक माल कोड (धारा 15 देखें) के अनुसार करना चाहिए ।
- 13.17 सुवाह्य टैंकों की सुरक्षा :**
- 13.17.1. यातायात केलिए उपबन्ध किए गए साधारण सुरक्षा उपकरणों के अलावा, अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों, जोकि जहाज के मास्टर एवं सक्षम प्राधिकारी को सन्तोषजनक हो, समझी यात्रा के दौरान सुवाह्य टैंकों की सुरक्षा केलिए अत्यन्त आवश्यक हो का भी पूर्णतः सुनिश्चित करना है ।
- 13.17.2. सुरक्षापूर्ण उपकरणों को मानते बक्स, 13.2.7 के घुमाव व एसिलेष्यन्स को भी देख लेना है ।
- 13.17.3. टैंक पर प्रदर्शित विशेष सूचनाओं का पालन करना है ।

दिनांक 27.4.89 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ।

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

सा.का.मि.475 (च)- महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप धारा (i) के साथ पठित धारा 132 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एततद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान की बिक्री) विनियम, 1988 का अनुमोदन करती है जो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1989 और 7 फरवरी, 1989 में केरल के राजपत्र में प्रकाशित किया है तथा इस अधिसूचना के साथ अनुसूची में संलग्न किया है ।

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची

संख्या : बी 2/ 1633/88/एस

अधिसूचना

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उप धारा (च) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल एततद्वारा निम्न लिखित विनियम बनाती है तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ केरल सरकार के राजपत्र में 12 जुलाई 1988 तथा 26 जुलाई 1988 के दो दफ्तरों में लगातार प्रकाशित किया था ।

1. (i) संक्षिप्त नाम :- इन विनियमों का नाम “कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान की बिक्री) विनियम, 1988”
- (ii) प्रारंभ : ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियोगः

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 या उसके अन्तर्गत बनाये कोई भी विनियम या आदेशों के अन्तर्गत देश दंड या द्र या दोनों देनेवाले सभी जलयानों के लिए ये विनियम लागू होंगे लेकिन केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में आनेवाले या विदेशी राज्य में युद्ध में आनेवाले जलयानों के लिए लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएः

इन विनियमों में संदर्भ अन्य प्रकार से अपेक्षित न हो तो ,

- i) "अधिनियम " का अर्थ महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) से अभिप्रेत है ।
- ii) "उप संरक्षक " से उसी अधिकारी अभिप्रेत है जिन्होंने फिलहाल समुद्री विभाग का प्रभारी हो तथा जिनके साथ उप एवं सहायक अधिकारी भी शामिल हो कोई भी अधिकारी उप संरक्षक के अधीन में काम करते हो ।
- iii) "फार्म " का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म से अभिप्रेत है ।
- iv) "द्र " का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत अदायगी करते द्र या दंड से अभिप्रेत है ।
- v) इन विनियमों के उपयोग किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में उनको क्रमशः नियम किए गए हैं ।

4. आसेध या जलयानों का रोकः

1. जहाँ कोई जलयान , जिसके द्र/दंड का भुगतान न किया गया हो, पोर्ट में पड़ा है उसके लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म I में एक माँग पत्र दी जा सकती है जिसमें अदायगी न दिए गए जलयान के मास्टर से उक्त माँग पत्र की जारी से सात दिनों के अन्दर सभी द्र या दंड अदा करने का अनुरोध कर सकता है ।
2. उक्त माँग पत्र में बिल की प्रतिलिपि के साथ उक्त जलयान के एजन्ट या मास्टर द्वारा दिए जाने के द्र या दंड का पूर्ण ब्यौरा भी होंगे और इसका अदायगी बोर्ड को देय है, जो मास्टर द्वारा अदा करना है ।
3. उक्त माँग मास्टर को उपयोगी होना चाहिए और मास्टर के गैर हाजिरी में माँग पत्र जहाज केस मस्तूल पर चिपकाने से मास्टर के उपयोग में आया जैसा समझा जाएगा ।
4. भुगतान नहीं किया गया बेसल के मास्टर, उसको दिए गए माँग पत्र में सूचित समय के अन्दर द्र या अर्थ दंड का भुगतान नहीं किया गया तो आसेध या रोकने का हक बोर्ड को होता है । इसके साथ बेसल के रस्से परिधान एवं अन्य उपकरण आदि भी अदायगी करने तक पोर्ट के पास रखा जा सकता है । साथ ही बेसल के आसेध या रोक करने के अवधि में किसी प्रकार के पोर्ट को प्राप्त होने का रकम अदायगी करना शेष है तो उसका भी भुगतान करने तक पोर्ट के पास ये सामान रख सकता है ।

5. अनदायगी जलयान के रोक या आसेध के लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म II में बारंट गिरफ्तारी जारी किया जाएगा जिसमें देय रकम की व्यक्त सूचना देने के साथ साथ यह भी सूचित किया जाए कि बोर्ड को देय सभी दर/अर्थ दंड एवं सागत की अदायगी करने तक चेसल का आसेध या रोक जारी किया जाए।
6. (क) बारंट गिरफ्तारी जलयान के मास्टर को दिया जाएगा और इसका एक प्रतिलिपि जलयान के मस्तूल पर चिपकाया जाएगा।
 (ख) यदि मास्टर हाजिर नहीं है या बारंट स्वीकार करने में इनकार करता है तो जलयान के मस्तूल पर चिपकाये गये बारंट की प्रतिलिपि मास्टर के काष में आया जैसा समझा जाएगा।
7. जलयान का आसेध या अवरुद्ध के बाद पाँच दिनों के अन्दर बोर्ड के हितानुसार मालिक/मास्टर या जलयान के एजन्ट द्वारा उक्त दर/अर्थ दंड या आसेध या अवरुद्ध का मूल्य या उसके राख-रखाव संबंधी मूल्य की अदायगी न किया है तो जलयान या उसके आसेध या अवरुद्ध सामानों की बिक्री के लिए बोर्ड को उत्तरदायित्व है।
8. यदि एक बिदेशी जलयान जो एक आदेश के अनुसार आसेध या अवरुद्ध रखा जाए, द्वर्ज देश के एम्बसी एवं जल भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भी सूचित किया जाए।
5. आसेध या अवरुद्ध जलयान की बिक्री :
- (1) अवरुद्ध जलयान के आसक्ति बिक्री मूल्य का निश्चय करने के लिए स्वीकृत सर्वेक्षक द्वारा निश्चय किए गए जलयान के संबंध में उप संरक्षक द्वारा एक मूल्यांकित सर्वेक्षण करना चाहिए।
 - (2) जलयान एवं रस्से, परिधान एवं उपकरण की बिक्री के पहले ही उप संरक्षक को महा निविदा जहाजरानी से अनुमति मिलना चाहिए।
 - (3) जलयान की बिक्री, सामानों की बिक्री अधिनियम, 1930 की उपबन्धों एवं निविदा नोटीस में दिए गए शर्तों के अनुसार की जाएगी।
 - (4) फार्म III में दिए गए प्रेस विज्ञापन के अनुसार कम से कम चार अखबारों में जिनमें एक हिन्दी और एक प्रादेशिक भाषा का हो, मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाएगा। इस में निविदा स्वीकार करने की अंतिम तारीख भी सूचित की जाएगी।
 - (5) एक निधारित समय, जो उप संरक्षक द्वारा तय किया जाएगा, के दौरान प्रेस में बिक्री नोटीस प्रकाशित करने के बाद प्रत्याशित खरीदारों को जलयान का निरीक्षण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।
 - (6) हर एक निविदा के साथ उप संरक्षक द्वारा तय किए गए बयाना निष्पेक का बैंक ड्राफ्ट भी होगा।
 - (7) नियत तारीख तथा समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत किया जाएगा।

- (8) उप संरक्षक द्वारा निश्चित तारीख और समय पर निविदाकारों की उपस्थिति में मुतरबंद निविदा खुला जाएगा और उस समय कोई निविदाकार अनुपस्थित है तो कारण बताकर खुले बिना उनकी निविदा अस्वीकृत की जाएगी ।
- (9) स्वीकृत निविदाकार को प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी सूचना दी जाएगी ।
- (10) निविदा की स्वीकृति के बाद पाँच दिनों के अन्दर निविदाकार द्वारा स्वीकृत रकम का 25% अदा करना है और शेष रकम उस तारीख से 15 दिनों के अन्दर अदा करना है । निविदा मूल्य के अलावा उप संरक्षक द्वारा निश्चित किए सुरक्षा निषेप के लिए रूपये/बैंक गैरंटी भी निविदाकार देना है जो समाप्ति के बाद तीन महीने के अवधि के अन्दर वापस दिया जाएगा । जो भी हो, उस निषेप पर पोर्ट द्वारा कोई भी व्याज नहीं दिया जाएगा ।
- (11) निविदा की स्वीकृति से पाँच दिनों के अन्दर स्वीकृत रकम के 25% की अदायगी में छूक होने पर जब तक दूसरा आदेश अपेक्षित न हो, बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगा और बयाना निषेप का जुर्माना दिया जाएगा और जलयान की स्वीकृत निविदाकार के जोखिम पर, पुनः बिक्री की जाएगी ।
- (12) किसी कारण से 30 दिनों के अन्दर बन्दरगाह से जलयान दूर नहीं किया जाता है तो नियमित प्रभार के साथ अतिरिक्त बर्थ भाड़ा, जो पोर्ट दर में दिया गया है, का उद्घरण किया जाएगा ।
- (13) किसी भी परिस्थिति में, जब तक उसी प्रकार करने के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी हो, पोर्ट सीमाओं के अन्दर या बन्दरगाह के अन्दर स्थित जहाज का टूट-फूट या विघटन करने के लिए उपभोक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
6. जलयान के खरीददार की दायिताएँ :
- (1) निविदा स्वीकृत करने की तारीख से सभी अद्यादंड/दर और अन्य प्रभार खरीददार के खाते में आ जाएगा ।
- (2) निविदा की स्वीकृति पर 30 दिनों के लिए पोर्ट को प्राप्य राशि, शुल्क एवं उस अवधि के लिए उप संरक्षक द्वारा प्राकसित प्रभार भी पोर्ट के साथ खरीददार निषेप करना है ।
- (3) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर आदि खरीददार के खाते में रखा जाएगा और उक्त प्राधिकारियों को खरीददार द्वारा ऐसे ड्यूटी एवं कर से संबंधित रकम अदा करना है । पोर्ट द्वारा जलयान को निकासी के लिए अनुमति देने से पहले ऐसे भुगतान का स्वीद दिखाना चाहिए ।
- (4) (क) निविदा स्वीकृत करने के बाद तुरंत एक प्रमाणपत्रित भास्टर, आधिकारियों एवं प्रमाणपत्रित इंजीनियर्स के साथ पर्याप्त संख्या का कर्मीदल, जलयान बन्दरगाह के अन्दर रखते समय, खरीददार द्वारा जलयान के मानिंग एवं अनुरक्षण के लिए सभी प्रबन्ध बनाए रखना है ।

- (ख) जलयान के मानिंग एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रबन्ध बनाने में खरीददार असमर्थ है तो पोर्ट अधिकारियों द्वारा उस उद्देश्य के लिए उचित व्यक्तियों को नियुक्त करके कार्य किया जाएगा और इससे संबंधित सभी यथोचित खर्चे खरीददार से वसूल किया जाएगा ।

फॉर्म संख्या : I

(विनियम 4 (1) देखिए)

सेवा में

मास्टर,
एम. बी./ एस. एस.

विषय:- एम.बी. दर/ दंडस्वरूप-दर के गैर अदायगी/दंडस्वरूप - तत्काल अदायगी के लिए नोटीस ज्ञारी करना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि निम्न दर दंडस्वरूप दिनांक..... तक, रूपये..... मेजर पोर्ट द्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार कोचिन पोर्ट द्रस्ट द्वारा बनाये विनियमों एवं आदेशों के अनुसार दिनांक के पहले अदा किया जाए ।

1..... 2..... 3..... पोर्ट को देय उपर्युक्त दर/ दंडस्वरूप भुगतान के बारे में वेसल के मास्टर या एजन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के वेसल से तारीख को रूपये पोर्ट को देय है ।

2. आपको सूचना दी जाती है कि इस नोटीस को प्राप्त हुए 7 दिन के अन्दर उपर्युक्त अदायगी किया जाए, जिसके न होने पर बेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 की उपबन्धों के अनुसार जलयानों को आसेध या रोक किया जाएगा तथा उसके रस्से, परिधान तथा उपकरणों को, जलयानों के आसेध या रोक किए जाने समय तक जो रकम बोर्ड को दिया जाना है उसको अदा करने के समय तक रोक रखा जाएगा ।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रतिलिपि:- 1. मेसर्स. एम.बी.के.मालिक.....
2. एम.बी.जलयान के एजन्ट.....

फार्म संख्या. II

(विनियम 4(5) देखिए)

सेवा में

मास्टर,
एम.बी./एस.एस

विषय:- पोत परिवहन- एम.बी.दर / दंडस्वरूप- दर के गैर- अदायगी- आसेध आदेश- जारी करना ।

संदर्भः अपने समसंख्यक पत्र दिनांक ...

.....

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि दिनांक के पहले.....रूपये दर-----पोर्ट ट्रस्ट को देय दिनांक के पहले अदा किया जाए । तारीख के माँग के अनुसारपोर्ट ट्रस्ट को देय उपर्युक्त दर । दंडस्वरूप के भुगतान के बारे में बेसल के मास्टर या एजन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के बेसल से तारीख को रूपये पोर्ट को देय है ।

बोर्ड को उपर्युक्त दर, दंडस्वरूप गैर- अदायगी के कारण बेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार बेसल एम.बी. को एततद्वारा आसेध किया जाता है तथा जलयानों

सकते हैं अर्थात् :-

- (क) जहाँकि संरक्षक द्वारा अधिनियम के उपबन्ध या बनाए गए कोई नियम या आदेश के अधीन जारी किए गए अनुदेश या आदेशों को 24 घंटों के भीतर जलयान के मालिक, एजन्ट या मास्टर द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो;
- (ख) जहाँके जलयान से संबंधित अनुदेशों या आदेशों का पालन करने में इसके मालिक, एजन्ट या मास्टर या दूसरे कोई प्रभारी व्यक्ति ने अपने अधिकार या कर्तव्यों का विचक्षित तथा स्पष्ट रूप से अधित्याग किया है तो ;
- (ग) जहाँकि जलयान की स्थिति ऐसी हो कि मालिक, एजन्ट या मास्टर अनुदेश या आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो ;
- (घ) जहाँकि ऐसी अनुदेश या आदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त योग्यतावाले द्वारा के अभाव में जलयान छोड़ देना ;
- (ङ) जहाँकि कोई जलयान बिना कारण से पोर्ट क्षेत्र में लगातार तीन महीने से अधिक बेकाम पड़ता है तो उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई लिया जाए ;
- (च) जहाँकि उक्त पोर्ट में जलयान के पड़े रहने से नौसंचालन या कागों हस्तन या पोर्ट जलयानों को रुकावट डाल सकते हैं ;
- (3) अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपनियम (2) के अधीन जलयान के संचालन के लागत प्रभार और व्यय के रूप में अधिनियम की धारा 42 के अधीन अधिकार में सभी अन्य दावे जलयान के मालिक, एजन्ट के खिलाफ देय के रूप में बसूल योग्य है तथा संरक्षक इस प्रकार के जलयान को आसेध या रोकें और उसके रस्से, परिधान एवं फर्निचर या इसके आंशिक भाग और धारा 42 के सारे उपबन्ध इस प्रकार के आसेध या रोक के लिए कार्यान्वित करें ।